

i f j f' k f" V 1.1

j k T; d k i f j n";

(संदर्भ: राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

v- l kekl; vkj d M s		
00 1 0	fooj .k	vkj d M s
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी ⁰
2	जनसंख्या	
	अ. 2011 की जनगणना के अनुसार	19.98 करोड़
	ब. 2016	22.01 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ⁰)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ⁰
	ब. जनसंख्या घनत्व ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ⁰)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ⁰
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या ² (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)	29.40 प्रतिशत
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत
	ब. साक्षरता ³ 2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	67.70 प्रतिशत
6	शिशु मृत्युदर 2015 ⁴ (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जन्म पर)	46 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा ⁵ 2011-15 (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष)	64.5 वर्ष
8	गिनी गुणांक ⁶	
	अ. ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)	0.36
	ब. शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 12,75,141 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2016-17)	उत्तर प्रदेश 12.40 सामान्य श्रेणी राज्य 13.20
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁷ मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2016-17)	उत्तर प्रदेश 14.30 सामान्य श्रेणी राज्य 14.60
12	जनसंख्या वृद्धि ⁸ (2007 से 2016)	उत्तर प्रदेश 16.60 सामान्य श्रेणी राज्य 11.90

¹ अन्तिम जनसंख्या भारतीय जनगणना सूचना 2011

² इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 154

³ इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 149

⁴ इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 156

⁵ इकोनोमिक सर्वे 2016-17 (अगस्त 2017), भाग II, पृष्ठ अ 146

⁶ गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी। वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों का समावेश किया गया है।

⁷ एचटीटीपी://प्लानिंगकमीशन.एनआईसी.इन/डेटा/डेटाटेबिल/डेटा_2312/डेटाबुकडीईसी2014%20106.पीडीएफ

⁸ भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2001-2016 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या कमीशन द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान के तकनीकी गुप के प्रतिवेदन की सारणी 14 (1 अक्टूबर 2001-2016 को लिंग आधारित कुल जनसंख्या)

⁹ 1 अगस्त 2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विवरण में वर्ष के लिये कुछ राज्यों जैसे गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर (बजट भाषण 2017-18) मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आंकड़े नहीं दिये गये हैं। अतः इन राज्यों के आंकड़े संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त किये गये हैं।

c- foRrh; vkadMs					
00 10	fooj .k	vkadMs %i fr'kr e%h			
	fefJr okf"kl d of) nj	2007-08 s 2015-16		2015-16 s 2016-17	
		l keklJ; Js kh jkT;	mRrj i ns'k	l keklJ; Js kh jkT;	mRrj i ns'k
13	क. राजस्व प्राप्तियाँ	14.58	16.12	11.52	13.12
	ख. कर राजस्व	14.80	15.89	13.50	5.90
	ग. करेतर राजस्व	9.45	18.84	12.10	25.11
	घ. कुल व्यय	15.84	16.75	15.31	9.38
	ड. पूंजीगत व्यय	14.53	18.16	17.91	8.33
	च. शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.86	18.39	9.86	15.85
	छ. स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.43	17.40	14.92	14.89
	ज. वेतन एवं मजदूरी	14.89	18.34	13.06	14.75
	झ. पेंशन	17.17	18.68	10.63	16.88

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2016-17 पर आधारित है)

i f j f' k"V 1.2

' kkl dh; ys[ks dk : i , oa l j p u k r Fk k foRr ys[ks dk i k: i
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

Hkx&v% ' kkl dh; ys[ks dk : i , oa l j p u k	
' kkl dh; ys[ks dh l j p u k: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।	
Hkx-1 l e f d r f u f / k % राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
Hkx-2 v k d f l e d r k f u f / k % संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।	
Hkx-3 y k d y s [k % प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, समेकित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।	
Hkx&c% foRr ys[ks dk i k: i	
foj . k l Ø	i k: i
foRr ys[ks nks Hkxka ea foHkkt r gA Hkx , d l j d k j d s foRr h; foj . k d s l k j k d k h d ' r # i ea v k j Hkx nks ea foLr r foj . k i L r r f d ; k t k r k gA Hkx , d ea Hk j r d s f u ; a = d , oa e g k y s [k k i j h { k d d s i æ k . k & i =] 13 l k j k d k f o j . k v k j y s [k s d h ; k s t u k i j f v l i . k h d k s l f e f y r f d ; k t k r k g s t j k f d u h i p s f n ; k x ; k g A	
[k. M&I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक—अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश

[k. M&II	
Hkkx&I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
Hkkx&II %i fj f' k"V½	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट-IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	आयोजनागत योजना व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं
परिशिष्ट-VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट-X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट-XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट-XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रूप से नहीं हुआ है

i f j f' k"V 1.3

o"kl 2016-17 ds fy, çkflr; k, oa l forj .kka dk l kj
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1; पृष्ठ)

(₹ djkm+e)

2015-16		çkflr; k		2016-17		l forj .k		2016-17	
2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		2016-17	
Hkkx ^ ^									
2,27,075.94	I	jktLo i kflr; kW	2,56,875.15	2,12,735.95	I	jktLo 0; ;	1,86,886.03	49,706.23	2,36,592.26
81,106.26		-कर राजस्व	85,965.92	72,227.92		l kekl; l ok, a	88,110.97	143.84	88,254.81
				82,486.46		l kekf t d l ok, a	50,702.89	41,158.23	91,861.12
23,134.65		- करेतर राजस्व	28,944.07	45,077.35		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34,201.21	18,018.70	52,219.91
				11,195.21		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,929.68	5,931.85	12,861.53
90,973.69		- संघीय करों में राज्यांश	1,09,428.29	3,924.34		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,322.82	2,212.94	4,535.76
				190.35		-सूचना एवं प्रसारण	611.87	1.06	612.93
8,273.90		-आयोजनेत्तर अनुदान	9,334.95	4,510.78		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,410.51	2,760.53	4,171.04
1,933.17		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	232.32	514.10		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	426.89	209.02	635.91
				16,995.08		-समाज कल्याण तथा पोषण	4,705.66	12,023.63	16,729.29
21,654.27		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	22,969.60	79.25		-अन्य	94.25	0.50	94.75
0.00		वाह्य अनुदान सहायता	0.00	47,881.29		vkfkd l ok, j	37,430.01	8,404.16	45,834.17
				5,097.83		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	3,278.74	2,320.54	5,599.28
				7,714.16		-ग्राम्य विकास	9,004.22	4,844.03	13,848.25
				11.68		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.01	11.97	11.98
				5,221.93		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,838.60	627.52	5,466.12
				22,225.00		-ऊर्जा	14,398.12	141.62	14,539.74

				3,082.18	-उद्योग एवं खनिज	283.73	388.78	672.51
				3,572.60	-परिवहन	4,825.02	0.90	4,825.92
				37.77	-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	19.20	43.45	62.65
				918.14	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	782.35	25.35	807.70
				10,140.28	l gk; rk vupku , oa va knku	10,642.16	-	10,642.16
2,27,075.94		; kx	2,56,875.15	2,12,735.95	; kx	1,86,886.03	49,706.23	2,36,592.26
'kl;	II	jkTLo ?kkVk Hkx ^c* dks vx f"kr	'kl;	14,339.99	II	jkTLo vkf/KD; Hkx ^c* dks vx f"kr	-	20282.89
2,27,075.94		; kx	2,56,875.15	2,27,075.94	; kx			2,56,875.15
Hkx ^c*								
(-)401.32	III	ckj fEHkd jkdM+ 'ks'k] LFkklz vfxæ , oa jkdM+ 'ks'k fuos'k l fgr	(-)202.28	-	III	Hkjr; fjt ol cd l s ckj fEHkd vkj MKIV	-	-
-	IV	fofo/k i thxr ckflr; ka	-	64,422.73	IV	i thxr i fj0; ;	9,215.70	60,573.42
				5,259.08	l kekl; l ok, a	2,396.10	3,331.20	5,727.30
				11,706.76	l keftd l ok, a	191.11	16,959.36	17,150.47
				1,130.44	-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3.05	2,015.25	2,018.30
				2,256.01	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.46	2,906.84	2,922.30
				7,286.48	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	136.20	10,521.40	10,657.60
				117.31	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	85.31	85.31
				662.17	-समाज कल्याण तथा पोषण	1.16	1,108.54	1,109.70
				254.35	-अन्य	35.24	322.01	357.25
				47,456.89	vkfkd l ok, a	6,628.49	40,282.86	46,911.35
				2,271.78	-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,892.46	1,028.67	3,921.13
				4,756.88	-ग्राम्य विकास	-	2,249.22	2,249.22

			554.42		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	698.02	698.02
			5,051.88		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	5,200.76	5,200.76
			18,809.10		-ऊर्जा	3,729.65	8,005.43	11,735.08
			91.85		-उद्योग एवं खनिज	5.83	146.20	152.03
			15,715.45		-परिवहन	0.55	22,652.52	22,653.07
			203.53		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	297.60	297.60
			2.00		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	-	4.42	4.42
725.63	V	_. kka , Oa vfxæka dh ol iyh	258.79	9,117.91	V l forfjr _ . k rFk vfxæ	6,741.09	-	6,741.09
			6,083.12		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	3700.32	-	3,700.32
			106.79		-सरकारी कर्मचारियों को	91.54	-	91.54
			2,928.00		-अन्य को	2,949.24	-	2,949.24
14,339.99	VI	v/kkuhr jktLo vf/k' k'k	20,282.89	-	VI v/kkuhr jktLo ?kkvk	-	-	-
74,513.58	VII	ykcd _ . k çkflr; ka	67,685.07	17,672.76	VII ykcd _ . k dk i uHkkrku	20,302.67	-	20,302.67
69,421.17		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	57,958.94	10,044.95	-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	10,167.95	-	10,167.95
4,498.55		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	8,695.05	6,230.51	-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	8,695.05	-	8,695.05
00		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	0.00	-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	-	-
593.86		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,031.08	1,397.30	-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,439.67	-	1,439.67
-	VIII	vkdfLedrk fuf/k l s fofu; kx	-	-	VIII vkdfLedrk fuf/k dks fofu; kx	-	-	-
201.28	IX	vkdfLedrk fuf/k dks LFkkukUrfjr /kuj kf' k	173.12	44.07	IX vkdfLedrk fuf/k l s 0; ;	349.16	-	349.16
2,65,971.96	X	ykcd ys[ks çkflr; ka	3,06,406.38	2,64,293.87	X ykcd ys[ks l forj . k	2,96,523.22	-	2,96,523.22
10,302.77		-अल्प बचतें एवं	10,171.49	8,768.41	-अल्प बचतें एवं	8,552.40	-	8,552.40

	भविष्य निधियां				भविष्य निधियां			
15,598.88	-आरक्षित निधियां	20,005.79	13,038.35		-आरक्षित निधियां	12,780.77	-	12,780.77
1,98,734.45	-उच्चत एवं विविध	15,762.62	1,99,411.79		-उच्चत एवं विविध	16,063.24	-	16,063.24
27,976.77	-प्रेषण	2,27,377.96	28,173.38		-प्रेषण	2,26,786.07	-	2,26,786.07
13,359.09	-जमा तथा अग्रिम	33,088.52	14,901.94		-जमा तथा अग्रिम	32,340.74	-	32,340.74
-	XI Hkkj rjh; fjt ol cd l s vkoj MkjV dk vfire vo' k'k	-	(-) 200.21	XI vfire jkM+ 'k'k			-	898.71
			00		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	00
			(-) 1,409.33		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-)1,280.65
			12.68		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	11.13
			1,196.44		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	2,168.23
5,68,087.07	; kx	6,51,479.12	5,68,087.07	; kx				6,51,479.12

i f j f' k"V 1.4

Ok"KZ 2016-17 ds fy, ctV vuqku] okLrfod i kflr; k; , oa 0; ;
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ dj kM+e)

fooj.k	ctV vuqku	okLrfod 0; ;	of) (+)/ deh (-)	of) (+)/ deh (-) i fr'kr ea
1	2	3	4 (3-2)	5
jktLo i kflr; k; ftl ea	2,81,555.44	2,56,875.15	-24680.29	-8.77
dj jktLo	1,01,256.50	85,965.92	-15290.58	-15.10
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	57,940.30	51,882.88	-6057.42	-10.45
राज्य आबकारी	19,250.00	14,273.49	-4976.51	-25.85
वाहनों पर कर	5,123.80	5,148.06	24.26	0.47
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16,319.60	11,564.02	-4755.58	-29.14
सामान एवं यात्रियों पर कर	0.00	0.31	0.31	0.00
भू-राजस्व	660.00	760.05	100.05	15.16
अन्य कर	1,962.80	2,337.11	374.31	19.07
djrj jktLo	24,240.85	28,944.07	4703.22	19.40
ब्याज प्राप्तियाँ	750.00	1164.94	414.94	55.33
विविध सामान्य सेवाएँ	4,220.61	4,460.40	239.79	5.68
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,650.00	1,548.39	-101.61	-6.16
अन्य करेतर राजस्व	17,620.24	21,770.34	4150.10	23.55
dlhnh; djka , oa 'kqYdka dk va'k	1,05,637.10	1,09,428.29	3791.19	3.59
Hkkjr l jdkj l s l gk; rk vuqku	50,420.99	32,536.87	-17884.12	-35.47
jktLo 0; ; ftl ea	2,53,354.54	2,36,592.26	-16762.28	-6.62
l kekl; l ok; j	92,856.00	88,254.81	-4601.19	-4.96
प्रशासनिक सेवाएँ	19,242.62	16,324.14	-2918.48	-15.17
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	28,539.82	28,270.19	-269.63	-0.94
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	38,106.31	37,708.02	-398.29	-1.05
राजकोषीय सेवाएँ	4,073.20	3,470.89	-602.31	-14.79
राज्य के अंग	2,894.04	2,481.57	-412.47	-14.25
l kekt d l ok; j	1,01,789.83	91,861.12	-9928.71	-9.75
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	52,332.21	52,219.91	-112.30	-0.21
समाज कल्याण एवं पोषण	20,637.01	16,729.29	-3907.72	-18.94
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,228.96	4,171.04	-1057.92	-20.23
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,452.96	12,861.53	-2591.43	-16.77
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,628.95	4,535.76	-2093.19	-31.58
सूचना एवं प्रसार	331.69	612.93	281.24	84.79
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,070.37	635.91	-434.46	-40.59
अन्य	107.68	94.75	-12.93	-12.01

vkfFkd l dk, a	48,021.19	45,834.17	-2187.02	-4.55
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	6,850.18	5,599.30	-1250.88	-18.26
ग्राम्य विकास	12,417.99	13,848.25	1430.26	11.52
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	58.51	11.98	-46.53	-79.52
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,920.05	5,466.12	-1453.93	-21.01
ऊर्जा	13,942.57	14,539.74	597.17	4.28
उद्योग एवं खनिज	3,105.72	672.52	-2433.20	-78.35
परिवहन	3,545.32	4,825.92	1280.60	36.12
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	62.86	62.65	-0.21	-0.33
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,117.98	807.69	-310.29	-27.75
l gk; rk vupku , oa vdknku	10,687.52	10,642.16	-45.36	-0.42
i thxr 0; ; ftl ea	71,877.99	69,789.12	-2088.87	-2.91
l kekl; l dk, a	6,824.00	5,727.30	-1096.70	-16.07
l kekftd l dk, a	19,009.47	17,150.47	-1859.00	-9.78
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,701.74	2,018.30	-1683.44	-45.48
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,683.59	2,922.30	-761.29	-20.67
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9,774.55	10,657.60	883.05	9.03
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	180.04	85.31	-94.73	-52.62
समाज कल्याण एवं पोषण	1,273.73	1,109.70	-164.03	-12.88
अन्य सामाजिक सेवाएँ	395.82	357.26	-38.56	-9.74
vkfFkd l dk, a	46,044.52	46,911.35	866.83	1.88
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	1,286.15	3,921.13	2634.98	204.87
ग्राम्य विकास	6,135.00	2,249.22	-3885.78	-63.34
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	834.24	698.02	-136.22	-16.33
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,904.95	5,200.76	-1704.19	-24.68
ऊर्जा	11,577.59	11,735.09	157.50	1.36
उद्योग एवं खनिज	148.10	152.03	3.93	2.65
परिवहन	19,001.55	22,653.08	3651.53	19.22
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	4.50	4.42	-0.08	-1.78
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	152.45	297.60	145.15	95.21
jktLo vkf/kD; %\$%@?kkVk %&½	28,200.90	20,282.89	-7918.01	-28.08
jkt dks'kh; ?kkVk %&½	49,960.88	55,988.53	6027.65	12.06
i kFkfed vkf/kD; %\$%@?kkVk %&½	22,626.92	29,052.86	6425.94	28.40

i f j f' k"V 1.5

j k T; l j d k j d s f o R r d s l e; c) v k j d M \$
(संदर्भ: प्रस्तर 1.3; पृष्ठ)

(₹ d j k M+ e 9)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
H k k x v- c k f l r; k j					
1. j k t L o c k f l r; k a	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875
(i) L o; a d s d j j k t L o	58,098(40)	66,582(40)	74,172(38)	81,106(36)	8,59,66(33)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870 (60)	39,645(60)	42,934(58)	47,692(59)	51,883(60)
राज्य आबकारी	9,782 (17)	11,644(18)	13,483(18)	14,084(17)	14,274(17)
वाहनों पर कर	2,993 (5)	3,441(5)	3,797(5)	4,410(5)	5,148(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	8,742 (15)	9,521(14)	11,803(16)	12,404(15)	11,564(13)
भू-राजस्व	805 (1)	772(1)	527(1)	505(1)	760(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	1 (0)	1(0)	1(0)	1(0)	0
अन्य कर	905 (2)	1,558(2)	1,627(2)	2,010(3)	2,337(3)
(ii) d j r j j k t L o	12,970 (9)	16,450(10)	19,935(10)	23,135(10)	28,944(11)
(iii) l k h; d j k a , o a ' k y d k a e a j k T; k d k	57,498 (39)	62,777(37)	66,623(35)	90,974(40)	1,09,428(43)
(iv) H k k j r l j d k j l s l g k; r k v u n k u	17,338 (12)	22,405(13)	32,692(17)	31,861(14)	32,537(13)
2. f o f o / k i n t h x r c k f l r; k a	-	-	-	-	-
3. __. k , o a v f x e k a d h o l w y h	419	589	262	726	259
4. d j j k t L o , o a x j __. k i n t h x r c k f l r; k a ¼1\$2\$3½	1,46,323	1,68,803	1,93,684	2,27,802	25,7134
5. y k d __. k c k f l r; k a	15,820	14,900	35,520	74,514	67,685
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	15,493 (98)	14,502(97)	33,302(94)	69,421(93)	57,959(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	31 (0)	8(0)	1,732(5)	4,499(6)	8,695(13)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	296 (2)	390(3)	486(1)	594(1)	1,031(1)
6. l e f d r f u f / k e a d j c k f l r; k a ¼4\$5½	1,62,143	1,83,703	2,29,204	3,02,316	3,24,819
7. v k d f l e d r k f u f / k c k f l r; k a	310	262	1	201	173
8. y k d y s [k k i k f l r; k j	1,43,478	2,26,078	2,30,199	2,65,972	3,06,406
9. j k T; d h d j c k f l r; k a ¼6\$7\$8½	3,05,931	4,10,043	4,59,404	5,68,489	6,31,398
H k k x c- 0; ; @ l f o r j . k					
10. j k t L o 0; ;	1,40,724 (85)	1,58,147(82)	1,71,027(76)	2,12,736(74)	2,36,592(76)
आयोजनागत	25,878 (18)	31,657(20)	33,262(19)	43,251(20)	49,706(21)
आयोजनेत्तर	1,14,846 (82)	1,26,490(80)	1,37,765(81)	1,69,485(80)	1,86,886(79)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	59,907 (43)	61,983(39)	64,305(38)	72,228(34)	88,255(37)
सामाजिक सेवाएं	53,300 (38)	60,756(39)	60,906(36)	82,487(39)	91,861(39)
आर्थिक सेवाएं	21,338 (15)	25,711(16)	34,885(20)	47,881(22)	45,834(19)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	6,179 (4)	9,696(6)	10,931(6)	10,140(5)	10,642(5)
11. पूंजीगत व्यय	23,834 (14)	32,863(17)	53,297(23)	64,423(23)	69,789(22)
आयोजनागत	22,608 (95)	30,608(93)	44,416(83)	49,045(76)	60,573(87)

आयोजनेत्तर	1,226 (5)	2,255(7)	8,881(17)	15,378(24)	9,216(13)
सामान्य सेवाएं	1,405 (6)	3,463(10)	4,009(7)	5,259(8)	5,727(8)
सामाजिक सेवाएं	7,594 (32)	6,760(21)	12,755(24)	11,707(18)	17,151(25)
आर्थिक सेवाएं	14,835 (62)	22,640(69)	36,534(69)	47,457(74)	46,911(67)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,003 (1)	1,473(1)	1,873(1)	9,118(3)	6,741(2)
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277	3,13,122
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,909	8,167	9,411	17,673	20,303
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,514 (84)	6,694(82)	8,051(86)	10,045(57)	10,168(50)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	8(0)	-	6,231(35)	8,695(43)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,395 (16)	1,465(18)	1,360(14)	1,397(8)	1,440(7)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	1,74,470	2,00,650	2,35,608	3,03,950	3,33,425
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	262	87	203	44	349
18. लोक लेखे संवितरण	1,29,472	2,20,459	2,28,014	2,64,294	2,96,523
19. jkT; }kjk dy l forj.k (16+17+18)	3,04,204	4,21,196	4,63,825	5,68,288	6,30,297
Hkx l - ?kV					
20. jkLo ?kV %&%@jkLo vkf/kD; %\$% (1-10)	(+)5,180	(+)10,067	(+) 22,394	(+) 14,340	(+)20,283
21. jktdk'skh; ?kV %&%@jktdk'skh; vkf/kD; %\$% (4-13)	(-)19,238	(-)23,680	(-) 32,513	(-) 58,475	(-)55,988
22. i kFfed ?kV (21+23)	(-)2,317	(-)6,268	(-) 13,648	(-) 37,027	(-)29,052
Hkx n- vU; vkdM					
23. C; kt Hkprku %jkLo 0; ; ea l feeyr%	16,921	17,412	18,865	21,448	26,936
24. LFkuh; fudk; ka dks foUkh; l gk; rkj bR; kfn	43,212	45,576	52,241	77,069	-
25. vFk k; vfxe , oa vkjMkV dk ykHk %fnuka e%	-	-	-	14	-
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. vFk k; vfxe@vkjMkV ij C; kt	-	-	-	-	-
27. or'eku eW; ij l dy jkT; ?kjsy mRi kn %th-, l -Mh-i-h⁹	8,22,393	9,40,356	10,11,790	11,20,836	12,75,141
28. cdk; k jktdk'skh; ns rk, a %o"kkDr%	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252	4,23,224
29. cdk; k iR; kHkr; kW %o"kkDr% C; kt l fgr	43,337	62,822	70,740	57,618	55,825
30. vf/kdre iR; kHkr' /kujkf' k; ka %o"kkDr%	50,459	69,752	78,023	78,826	66,702
31. viwkl ij; kstukvka dh l a[: k	383	412	545	924	611
32. viwkl ij; kstukvka ea vo#) iwrh	3,393	3,032	7,714	14,407	12,987
Hkx ; - jktdk'skh; fLFkr ds l adrd					

⁹ स.रा.घ.उ. के लिये आंकड़े: वर्ष 2012-13 से नये प्रक्रम में परिवर्तन हो गया है।

I I d k/kuk d k l xg.k					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.06	7.08	7.33	7.24	6.74
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.58	1.75	1.97	2.06	2.26
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.99	6.68	6.58	8.12	8.58
II 0; ; çcl/ku					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.13	20.47	22.36	25.54	24.56
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	113.47	114.43	116.94	126.07	121.90
राजस्व व्यय/कुल व्यय	85.00	82.16	75.61	74.31	75.56
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	37	35	33	33	35
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	22	25	32	33	30
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14	17	24	23	22
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14	15	22	21	20
III jkt d k' kh; vl lryu dk çcl/ku					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.63	(+)1.07	(+)2.21	(+)1.28	(+)1.59
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.34	(-)2.52	(-)3.21	(-)5.22	(-)4.39
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)0.28	(-)0.67	(-)1.35	(-)3.30	(-)2.28
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)1.43	(-)0.78	(+)0.35	(-)0.63	(-)0.52
IV jkt d k' kh; ns rkvk d k çcl/ku					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	32	30	30	33	33
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	178	167	159	162	165
V vl; jkt d k' kh; flfkr ds l d r d					
निवेश पर प्रतिफल	62.70	5.23	8.08	42.66	86.34
चालू राजस्व से अवशेष	26,323	35,617	32,275	27,037	36,015
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.85	0.89	0.97	1.02	1.06

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षा का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

i f j f' k"V 1.6

¼v½ o"kl **2012-17** dh vof/k ead jktLo
 ¼c½ o"kl **2012-17** dh vof/k ead j r j jktLo
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.2.1; पृष्ठ 9)

¼v½ o"kl **2012-17** dh vof/k ead jktLo

(₹ d j k M + e)

' kh"kl	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ctV vupku	okLrfod 0; ;
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870	39,645	42,934	47,692	57,941	51,883
राज्य आबकारी	9,782	11,644	13,483	14,084	19,250	14,274
वाहनों पर कर	2,993	3,441	3,797	4,410	5,124	5,148
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	8,742	9,521	11,803	12,404	16,320	11,564
भू-राजस्व	805	772	527	505	660	760
सामान एवं यात्रियों पर कर	1	1	1	1	0	0
अन्य कर	905	1,558	1,627	2,010	1,962	2,337
; ksx ¼v½	58,098	66,582	74,172	81,106	1,01,257	85,966

¼c½ o"kl **2012-17** dh vof/k ead j r j jktLo

(₹ d j k M + e)

' kh"kl	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ctV vupku	okLrfod 0; ;
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,249	1,624	2,310	676	758	1,251
सामान्य सेवायें	5,069	3,907	7,122	6,114	5,158	5,994
सामाजिक सेवायें	4,670	7,159	6,514	11,264	11,665	14,653
आर्थिक सेवायें	1,982	3,760	3,988	5,081	6,660	7,046
; ksx ¼c½	12,970	16,450	19,935	23,135	24,241	28,944
dy ; ksx ¼v\$ch	71,068	83,032	94,107	1,04,241	1,25,498	1,14,910

i f j f' k"V 1.7

31 ekpl 2017 dks I j dkj dh foRRkh; fLFkfr dk I f{kr I kj
(संदर्भ: प्रस्तर 1.5.1; पृष्ठ 22)

(₹ djkM+e)

31.03.2016 dks	ns rk, a		31.03.2017 dks
2,40,835.79	vklrfjd __.k		2,88,626.78
1,27,968.32	ब्याज सहित बाजार ऋण	1,64,872.76	
2.65	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.63	
4.15	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	2.30	
1,12,860.67	अन्य संस्थानों से ऋण	1,23,749.09	
00	अर्थोपाय अग्रिम	00	
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	00	
13,658.21	dLæ I j dkj I s __.k , Oa vfxæ		13,249.62
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
72.42	आयोजनेतर ऋण	65.52	
13,564.23	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	13,162.54	
00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00	
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	10.19	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	vkdfLedrk fuf/k %dkk 7 ½		600.00
46,655.29	vYi cprj Hkfo"; fuf/k; ka vkfn		48,237.64
22,312.18	fu{ki		22,094.39
43,790.33	vkj f{kr fuf/k; ka		51,015.35
2,732.76	ç's'k. k 'k's'k		3,480.54
6,401.55	I j dkj h ys[kkæ eæ vkf/kD;		23,891.38
7,938.45	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	3,608.49	
14,339.99	(ii) tkMæ वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	20,282.89	
3,76,986.11	; ksx		4,51,195.70
i f j I Ei fÜk; ka			
3,52,856.28	vpy I Ei fÜk; ka ij I dy iwtixr ifj0; ;		4,20,315.71
84,356.79	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	96,400.05	
2,68,499.49	अन्य पूंजीगत परिव्यय	3,23,915.66	
132.08	vkdfLedrk fuf/k %vl ek; kf'tr½		308.12
22,458.65	__.k , Oa vfxæ		28,446.79
8,013.55	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	11,713.87	
14,219.52	अन्य विकास ऋण	16,518.22	
225.57	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	214.70	
45.20	vkj f{kr fuf/k; ka eæ fuos'k		45.20
8.75	vfxæ		91.58
1,685.36	mplr , Oa fofo/k 'k's'k		1,089.59
(-) 200.21	jkdM+		898.71
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	

(-) 1,409.33	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,280.65	
12.21	विभागीय रोकड़ शेष	10.69	
0.47	स्थाई अग्रिम	0.44	
1,196.44	रोकड़ शेष निवेश	2,168.23	
3,76,986.11			4,51,195.70

lkfj f' k"V 1.3 , oa 1.7 ds fy, 0; k[; kRed fVli f.k; k;

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि *ifj f' k"V 1.7* में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 127.29 करोड़ $\frac{1}{2}$ का अन्तर था।

i f j f' k" V 1.8
 vkj f{kr fuf/k; ka dk fooj . k
 (संदर्भ : प्रस्तर 1.5.2; पृष्ठ 22)

(₹ yk[k e)

fooj . k	i k j f E H k d ' k s' k	i k f l r	l f o r j . k	v f l u r e ' k s' k
2014-15				
vkj f{kr fuf/k; k				
C; kt l fgr vkj f{kr fuf/k; k				
8115- eM; ðkl @uohdj . k vkj f{kr fuf/k	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
103- मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	6,290.11	00
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121- l kekl; , oa vU; vkj f{kr fuf/k; ka	126.69	00	126.69	0.00
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	126.69	-6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	00	00	6.19
; ksx	1,975.23	00	6,416.80	-4,441.57
C; kt j fgr vkj f{kr fuf/k; ka				
8222- fl fdæ Q. M	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- vdky jkgr fuf/k	853.50	00	931.51	-78.01
101- अकाल राहत निधि	931.51	00	931.51	0.00
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- l M e s , oa l r q fuf/k	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
8226- eM; ðkl @uohdj . k vkj f{kr fuf/k	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
8229- fodkl , oa dY; k. k fuf/k	1,09,361.95	2,00,565.15	2,65,934.33	43,992.77
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,327.38	2,00,565.14	20,102.35	1,84,790.17
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.01	00	4.78
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58	00	2,45,831.98	-1,45,913.40
8235- l kekl; , oa vU; vkj f{kr fuf/k; ka	28,745.91	68,603.79	66,709.73	30,639.97
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	498.54	586.52	735.56	349.50
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,089.44	65,590.58	65,123.45	19,556.57
200- अन्य निधियाँ	8,388.58	2,426.69	850.72	9,964.55
; ksx	43,85,908.71	9,99,168.94	12,62,176.35	41,22,901.30
egk; ksx	43,87,883.94	9,99,168.94	12,68,593.15	41,18,459.73

2015-16				
fooj.k	i kjfEHkd 'ksk	i kflr	l forj.k	vfure 'ksk
vkj{kr fuf/k; k				
C; kt l fgr vkj{kr fuf/k; k				
8115- eW; àkl @uohdj .k vkj{kr fuf/k	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
103- मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- l kekl; , oa vU; vkj{kr fuf/k; ka	00	00	00	00
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	00	00	6.19
; ksx	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
C; kt jfgr vkj{kr fuf/k; ka				
8222- fl fdæ Q.M	40,76,490.33	6,96,678.20	4,69,904.00	43,03,264.53
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	40,76,490.33	6,96,678.20	4,69,904.00	43,03,264.53
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- vdky jkgr fuf/k	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
101- अकाल राहत निधि	00	00	00	00
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
8225- l Mds , oa l rñ fuf/k	(-) 32,173.73	2,50,000.00	2,49,972.76	(-) 32,146.49
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,173.73	2,50,000.00	2,49,972.76	(-) 32,146.49
8226- eW; àkl @uohdj .k vkj{kr fuf/k	4,029.97	2,000.00	9,829.00	(-) 799.03
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,029.97	2,000.00	9,829.00	(-) 799.03
8229- fodkl , oa dY; k.k fuf/k	43,992.77	2,00,003.47	1,76,389.06	67,607.18
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	1,84,790.17	(-) 2,00,557.11	(-) 20,102.35	4,335.41
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	1,088.84	00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	560.58	00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	1,800.00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	4.78	00	4.77	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	(-) 1,45,913.40	4,00,000.00	1,93,597.80	60,488.80
8235- l kekl; , oa vU; vkj{kr fuf/k; ka	30,639.97	4,11,206.30	4,00,740.29	41,105.98
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	349.50	292.41	(-)735.56	1,377.47
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	707.78	0.00
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	-	-	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	00	27.78	00
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	00	0.52	00	0.52
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,556.57	4,06,725.51	3,99,841.60	26,440.48
200- अन्य निधियां	9,964.55	4,187.86	898.69	13,253.72
; ksx	41,22,901.30	15,59,887.97	13,03,835.11	43,78,954.16
egk; ksx	41,18,459.73	15,59,887.97	13,03,835.11	43,74,512.59

2016-17				
fooj .k	i k j f E H k d ' k s k	i k f l r	l f o r j . k	v f l u r e ' k s k
v k j f { k r f u f / k ; k j				
C ; k t l f g r v k j f { k r f u f / k ; k j				
8115- e M ; a k l @ u o h d j . k v k j f { k r f u f / k	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
103- मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- l k e k l j ; , o a v l j ; v k j f { k r f u f / k ; k a	00	00	00	00
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	6.19	00	00	6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
; k s x	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
C ; k t j f g r v k j f { k r f u f / k ; k a				
8222- f l f d a x Q . M	43,03,264.53	10,77,235.00	4,14,560.80	4,96,5938.73
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	43,03,264.53	10,77,235.00	4,14,560.80	49,65,938.73
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- v d k y j k g r f u f / k	(-) 78.01	0	00	(-) 78.01
101- अकाल राहत निधि	00	0	00	00
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	0	00	(-) 78.01
8225- l M e d a , o a l r q f u f / k	(-) 32,146.49	4,40,000.00	4,40,000.00	(-) 32,146.49
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	4,40,000.00	4,40,000.00	(-) 32,146.49
8226- e M ; a k l @ u o h d j . k v k j f { k r f u f / k	(-) 799.03	00	00	(-) 799.03
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	(-) 799.03	00	00	(-) 799.03
8229- f o d k l , o a d y ; k . k f u f / k	67,607.18	2,50,000.00	2,28,775.63	88,831.55
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	00	00	4,335.41
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	00	00	00	00
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	00	00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	00	00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	0.01	00	00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	60,488.80	2,50,000.00	2,28,775.63	8,1713.17
8235- l k e k l j ; , o a v l j ; v k j f { k r f u f / k ; k a	41,105.98	2,33,344.64	1,94,740.64	79,709.98
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	1,377.47	50,89.33	00	6,466.80
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	0.00	6.04	00	6.04
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.03	00	33.82
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	0.52	(-)0.52	00	00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	26,440.48	2,28,255.80	1,93,483.67	61,212.61
200- अन्य निधियां	13,253.72	00	1,256.97	11,996.75
; k s x	43,78,954.16	20,00,579.64	12,78,077.07	51,01,456.73
egk ; k s x	43,74,512.59	20,00,579.64	12,78,077.07	50,97,015.16

ijfj'k"V 2.1

i pfofufu; kx ds ek/; e l s i ko/kku ea deh ds ckotwn 0; ; kf/kD;

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.1; पृष्ठ 30)

(₹ djkM+ e)

00 1.0	; kstuk dk uke	i ko/kku	deh	diy i ko/kku	0; ;	0; ; kf/kD;
1.	जिला एवं अन्य सड़कों की मरम्मत व रखरखाव (3054-04-337-03)	मूल-1,703.00	7.32	1,695.68	1,859.41	163.73
2.	राज्य सड़क निधि से जिला एवं अन्य सड़कों की मरम्मत व रखरखाव (3054-04-337-05)	मूल -1,500.00 पूरक-1,000.00	17.60	2,482.40	2,709.19	226.79
3.	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित भारत नेपाल सीमा के जिलों के सड़कों के अधूरे कार्य/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण (5054-02-337-04)	मूल - 57.37	10.60	46.77	51.44	4.67
4.	राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य (5054-03-337-03)	मूल - 324.00 पूरक - 229.00	41.34	511.66	859.61	347.95
5.	राज्य राजमार्ग के निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-03-337-13)	मूल - 75.00 पूरक - 109.00	32.22	151.78	378.38	226.60
6.	एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाईपास का निर्माण (5054-03-337-84)	मूल - 10.00 पूरक - 20.00	20.00	10.00	11.00	1.00
7.	उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय (5054-04-337-05)	मूल - 625.00	112.49	512.51	559.30	46.79
8.	जिला एवं अन्य सड़कों के निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-04-337-13)	मूल -2,479.00 पूरक - 589.00	106.87	2,961.13	3,166.81	205.68
9.	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों एवं छोटे पुलों के निर्माण के चालू कार्यों हेतु प्रावधान (5054-04-337-63)	मूल - 40.00	1.80	38.20	42.02	3.82
10.	श्री राम मनोहर लोहिया एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 1,000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले गांवों के क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-04-337-90)	मूल - 50.00	1.22	48.78	55.14	6.36
11.	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु असम्बद्ध निवास स्थलों में संपर्क मार्गों/छोटे पुलों के नए कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान (5054-04-337-93)	मूल - 40.00	0.59	39.41	46.40	6.99
; kx		ey - 6,903.37 ij d - 1,947.00	352.05	8,498.32	9,738.70	1,240.38

i f j f' k"V 2.2

¼v½ foxr o"kk ds 0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk
¼C½ o"kk 2016-17 ds 0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.2; पृष्ठ 31)

¼v½ foxr o"kk ds 0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk

(₹ dj kM+ e)

Ø0 l Ø	Ok"K	vupnkuk@fofu; kxka dh l a[; k	vupnkuk@fofu; kxka dk foj .k	vkf/kD; /kuj kf' k
1.	2005-06	25-अनुदान 4-विनियोग	राजस्व दत्तमत-8,12,19,53,55,57,58,72; पूजीगत दत्तमत-15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40, 55,56,57,58,73,75,96; राजस्व भारित-1,52; पूजीगत भारित-52,55;	1,026.78
2.	2006-07	18-अनुदान 6-विनियोग	राजस्व दत्तमत-9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूजीगत दत्तमत-3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित-2,3,10,52,62,89;	2,484.47
3.	2007-08	12-अनुदान 2-विनियोग	राजस्व दत्तमत-51,55,57,58,62; पूजीगत दत्तमत-13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित-51,66	3,610.65
4.	2008-09	5-अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत-62,96; पूजीगत दत्तमत-55,58,96; राजस्व भारित-52;	3,399.42
5.	2009-10	6-अनुदान 6- विनियोग	राजस्व दत्तमत-58; पूजीगत दत्तमत-1,16,55,58,59; राजस्व भारित-3,10,16,48,52,66;	1,250.16
6.	2010-11	6-अनुदान 4- विनियोग	राजस्व दत्तमत-30,51,91; पूजीगत दत्तमत-10,55,58; राजस्व भारित-10,23,61,82;	1,702.62
7.	2011-12	6-अनुदान 6- विनियोग	राजस्व दत्तमत-21,62,91; पूजीगत दत्तमत-1,55,58; राजस्व भारित-13,18,23,61,62,82;	1,889.66
8.	2012-13	4-अनुदान 3- विनियोग	राजस्व दत्तमत-51,57; पूजीगत दत्तमत-55,58; राजस्व भारित-55,62,89;	2,380.23
9.	2013-14	2-अनुदान 1-विनियोग	पूजीगत दत्तमत- 55, 58; पूजीगत भारित- 52;	2,608.18
10.	2014-15	7- अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत-57,91; पूजीगत दत्तमत-1,40,55,57,58; राजस्व भारित-13;	2,225.32
11.	2015-16	4- अनुदान 4- विनियोग	पूजीगत दत्तमत-55,57,58,87; राजस्व भारित-2,23,52,62;	1,566.71
; kx				24,144.20

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17)

¼c½ o"kl 2016&17 ds 0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk

(₹ dj kM+ e)

00 l 0	vunku@fofu; ksx dh l a[; k , oa uke	dy vunku@ fofu; ksx	0; ;	0; ; kf/kD;	o"kl ds nkj ku j kf' k; ka dk l ek; kstu	0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj .k dh vko' ; drk
1	2	3	4	5	6	7
i wthxr&दत्तमत						
1	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	81.02	115.35	34.33	7.91	26.42
2	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	11,515.48	13,217.15	1,701.67	860.75	840.92
3	87-सैनिक कल्याण विभाग	2.14	2.15	0.01	0.00	0.01
	; ksx	11,598.64	13,334.65	1,736.01	868.66	867.35
jktLo &Hkkfjr						
4	89- संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	65.45	65.58	0.13	0.00	0.13
	; ksx	65.45	65.58	0.13	0.00	0.13
i wthxr&Hkkfjr						
5	61- वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	15,435.44	20,230.22	4,794.78	0.09 ¹	4,794.69
	; ksx	15,435.44	20,230.22	4,794.78	0.09	4,794.69
	egk; ksx	27,099.53	33,630.45	6,530.92	868.75	5,662.17

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17)

¹ वर्ष 2015-16 के लिये ₹ 9.14 लाख की धनराशि का उचन्त निस्तारण।

i f j f' k"V 2.3

vupku@fofu; kx] t gk] cpr ₹ 10 dj kM+ l s vf/kd
, oa dly i ko/kku ds 20 i fr'kr l s vf/kd Fkh
(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.3 पृष्ठ 31)

(₹ dj kM+ e)

Ø0 l 0	vupku l a[; k	vupku@foHkx dk uke	dly i ko/kku	0; ;	Ckpr	i fr'krnk
jktLo&nÜker						
1.	02	आवास विभाग	965.93	743.32	222.61	23
2.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	257.02	39.74	217.28	85
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,150.19	143.34	1,006.85	88
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	362.15	264.67	97.48	27
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,534.84	2,706.26	828.58	23
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	306.52	202.85	103.67	34
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	120.95	62.20	58.75	49
8.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,249.26	65.25	1,184.01	95
9.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	21.85	11.16	10.69	49
10.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	850.03	609.18	240.85	28
11.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	373.64	284.37	89.27	24
12.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,188.59	3,925.01	1,263.58	24
13.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	695.02	413.71	281.31	40
14.	37	नगर विकास विभाग	7,500.60	4,749.13	2,751.47	37
15.	40	नियोजन विभाग	287.74	186.58	101.16	35
16.	41	निर्वाचन विभाग	476.79	367.67	109.12	23
17.	42	न्याय विभाग	1,775.51	1,343.25	432.26	24
18.	43	परिवहन विभाग	241.63	185.99	55.64	23
19.	44	पर्यटन विभाग	82.84	51.81	31.03	37
20.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,153.58	1,179.81	973.77	45
21.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	6,965.50	2,833.00	4,132.50	59
22.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,180.26	401.89	1,778.37	82
23.	60	वन विभाग	672.88	534.66	138.22	21
24.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	286.75	189.87	96.88	34
25.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	469.50	345.64	123.86	26
26.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,280.36	1,820.07	460.29	20
27.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	154.18	115.21	38.97	25
28.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	919.65	698.35	221.30	24
29.	92	संस्कृति विभाग	80.33	58.81	21.52	27
30.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,014.52	2,834.11	1,180.41	29
fuoy ; kx			45,618.61	27,366.91	18,251.70	40

jktLo-Hkkfjr						
31.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	62.77	48.12	14.65	23
fuoy ; kx			62.77	48.12	14.65	23
i thxr-nÜker						
32.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	789.66	356.83	432.83	55
33.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,831.31	8,530.35	3,300.96	28
34.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	263.19	158.27	104.92	40
35.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,741.50	1,289.45	452.05	26
36.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	862.20	581.03	281.17	33
37.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	188.99	0.00	188.99	100
38.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	302.00	196.59	105.41	35
39.	42	न्याय विभाग	1,179.51	598.09	581.42	49
40.	43	परिवहन विभाग	290.81	177.78	113.03	39
41.	44	पर्यटन विभाग	423.45	298.91	124.54	29
42.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	258.26	175.71	82.55	32
43.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,057.51	712.51	345.00	33
44.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	22.50	6.65	15.85	70
45.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	73.87	11.83	62.04	84
46.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	300.00	34.57	265.43	88
47.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,331.45	55.00	1,276.45	96
48.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	603.51	367.44	236.07	39
49.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	36.60	14.22	22.38	61
50.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	50.57	2.26	48.31	96
51.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	10.25	0.25	10.00	98
52.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	188.10	145.38	42.72	23
53.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	47.89	17.12	30.77	64
54.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	10,375.08	7,897.10	2,477.98	24
55.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	23.75	10.50	13.25	56
56.	86	सूचना विभाग	34.00	0.00	34.00	100
57.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	38.00	19.00	19.00	50
58.	92	संस्कृति विभाग	59.15	35.16	23.99	41
59.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	7,312.97	5,678.05	1,634.92	22
fuoy ; kx			39,696.08	27,370.05	12,326.03	31
i thxr-Hkkfjr						
60.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	12.00	1.34	10.66	89
fuoy ; kx			12.00	1.34	10.66	89
egk; kx			85,389.46	54,786.42	30,603.04	36

i f j f' k"V 2.4

₹ 100 dj kM+ ; k ml l s vf/kd dh cpr okys vupku@fofu; ksx
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.3 पृष्ठ 31)

(₹ dj kM+ e)

00 l 0	vupku l a[; k	vupku dk uke	i ko/kku			okLrfod 0; ;	cpr
			ey vupku	vuij d	dj vupku		
jktLo & nUker							
1.	2	आवास विभाग	964.93	1.00	965.93	743.32	222.61
2.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	257.02	0.00	257.02	39.74	217.28
3.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,144.19	6.00	1,150.19	143.34	1,006.85
4.	9	ऊर्जा विभाग	14,441.46	935.22	15,376.68	15,004.89	371.79
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,484.71	50.13	3,534.84	2,706.26	828.58
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	306.52	0.00	306.52	202.85	103.67
7.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,999.44	209.11	2,208.55	1,905.69	302.86
8.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,066.90	5.33	1,072.23	918.04	154.19
9.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,241.57	7.69	1,249.26	65.25	1,184.01
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	13,524.59	0.25	13,524.84	12,638.50	886.34
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,900.34	179.00	2,079.34	1,927.26	152.08
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,417.21	64.65	5,481.86	4,393.44	1,088.42
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	850.03	0.00	850.03	609.18	240.85
14.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,188.59	0.00	5,188.59	3,925.01	1,263.58
15.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	695.02	0.00	695.02	413.71	281.31
16.	37	नगर विकास विभाग	6,907.80	592.80	7,500.60	4,749.13	2,751.47
17.	40	नियोजन विभाग	286.74	1.00	287.74	186.58	101.16
18.	41	निर्वाचन विभाग	366.79	110.00	476.79	367.67	109.12
19.	42	न्याय विभाग	1,718.57	56.94	1,775.51	1,343.25	432.26
20.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,153.57	0.01	2,153.58	1,179.81	973.77
21.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,752.54	260.44	6,012.98	4,906.25	1,106.73
22.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	4,965.50	2,000.00	6,965.50	2,833.00	4,132.50
23.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,185.91	98.86	3,284.77	2,685.35	599.42

24.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,180.26	0.00	2,180.26	401.89	1,778.37
25.	60	वन विभाग	672.88	0.00	672.88	534.66	138.22
26.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	468.96	0.54	469.50	345.64	123.86
27.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	36,794.61	3,614.06	40,408.67	37,994.05	2,414.62
28.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,430.12	1.03	8,431.15	8,037.09	394.06
29.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,247.11	33.25	2,280.36	1,820.07	460.29
30.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	767.32	0.00	767.32	662.06	105.26
31.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,869.29	1.00	5,870.29	5,483.71	386.58
32.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	12,523.18	50.36	12,573.54	10,869.33	1,704.21
33.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	904.65	15.00	919.65	698.35	221.30
34.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,208.78	64.00	2,272.78	2,170.24	102.54
35.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,014.52	0.00	4,014.52	2,834.11	1,180.41
: kx			1,54,901.62	8,357.67	1,63,259.29	1,35,738.72	27,520.57
jktLo-Hkkfjr							
36.	9	ऊर्जा विभाग	4,008.18	49.01	4,057.19	3,691.77	365.42
: kx			4,008.18	49.01	4,057.19	3,691.77	365.42
i rthxr & nÜker							
37.	2	आवास विभाग	2,039.00	360.00	2,399.00	2,139.90	259.10
38.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	5,702.25	2,020.76	7,723.01	6,239.19	1,483.82
39.	9	ऊर्जा विभाग	14,348.19	1,142.52	15,490.71	15,242.71	248.00
40.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	776.60	13.06	789.66	356.83	432.83
41.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,213.51	617.80	11,831.31	8,530.35	3,300.96
42.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	175.37	87.82	263.19	158.27	104.92
43.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7,655.87	1,506.97	9,162.84	8,876.13	286.71
44.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,501.50	240.00	1,741.50	1,289.45	452.05
45.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,318.57	344.00	2,662.57	2,164.18	498.39
46.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	842.20	20.00	862.20	581.03	281.17
47.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	188.99	0.00	188.99	0.00	188.99
48.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	202.00	100.00	302.00	196.59	105.41
49.	40	नियोजन विभाग	1,234.24	656.25	1,890.49	1,554.28	336.21

50.	42	न्याय विभाग	1,090.51	89.00	1,179.51	598.09	581.42
51.	43	परिवहन विभाग	233.15	57.66	290.81	177.78	113.03
52.	44	पर्यटन विभाग	152.45	271.00	423.45	298.91	124.54
53.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	902.39	155.12	1,057.51	712.51	345.00
54.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,726.40	0.00	2,726.40	2,608.90	117.50
55.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	300.00	0.00	300.00	34.57	265.43
56.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,271.45	60.00	1,331.45	55.00	1,276.45
57.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	526.71	76.80	603.51	367.44	236.07
58.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,048.64	1,326.44	10,375.08	7,897.10	2,477.98
59.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	6,597.97	715.00	7,312.97	5,678.05	1,634.92
; ksx			71,047.96	9,860.20	80,908.16	65,757.26	15,150.90
egk; ksx			2,29,957.76	18,266.88	2,48,224.64	2,05,187.75	43,036.89

lkj f' k"V 2.5
vuoj r cprk okys vuqku
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.4; पृष्ठ 32)

(₹ dj kM+ e)

Ø0 l 0	vuqku l a[: k	vuqku dk uke	cpr dh /kujkf' k				
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
jktLo &nÜker							
1.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	644.92	596.10	425.39	438.74	828.58
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	103.79	201.09	399.75	208.61	302.86
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	793.40	982.88	994.09	1,346.41	886.34
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	403.79	471.31	672.14	938.53	1,088.42
5.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	221.35	169.95	210.71	1,404.12	1,263.58
6.	37	नगर विकास विभाग	238.51	654.69	2,762.12	1,390.72	2,751.47
7.	42	न्याय विभाग	178.52	223.31	330.65	329.12	432.26
8.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	104.26	201.19	815.40	852.81	973.77
9.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	372.97	271.58	370.04	1,058.88	1,106.73
10.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	353.02	202.58	337.40	456.79	599.42
11.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	681.45	1,041.27	1,265.68	1,384.03	1,778.37
12.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,865.81	2,567.23	4,390.54	3,229.85	2,414.62
13.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,276.77	874.11	787.75	918.15	394.06
14.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	816.09	348.28	422.39	278.80	460.29
15.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,762.10	1,315.74	2,509.94	2,306.78	1,704.21
16.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	198.79	738.76	745.95	766.33	102.54
17.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	483.40	597.47	739.30	933.97	1,180.41
; ksx			10,498.94	11,457.54	18,179.24	18,242.64	18,267.93
i rthxr &nÜker							
18.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	177.73	470.53	286.17	533.67	432.83
19.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	203.22	145.76	2,017.90	1,669.11	3,300.96
20.	26	गृह विभाग (पुलिस)	363.24	126.51	110.84	282.44	452.05
21.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	164.73	148.22	640.44	635.44	345.00
22.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	588.84	524.04	1,634.76	1,357.70	2,477.98
; ksx			1,497.76	1,415.06	4,690.11	4,478.36	7,008.82
egk; ksx			11,996.70	12,872.60	22,869.35	22,721.00	25,276.75

lkfj f' k"V 2.6

Adj.k] ftuea vuq j d i ko/kku

¼AR; sd Adj.k ea ₹, d dj kM+; k vf/kd½ vuko'; d fl) gq

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.5; पृष्ठ 32)

(₹ dj kM+ ea)

Ø0 l Ø	vunku l a; k	vunku@fofu; kx dk uke	ey i ko/kku	okLrfod 0; ;	vuq j d i ko/kku	ey i ko/kku ds l ki s k cpr
jktLo &nUker						
1.	02	आवास विभाग	964.93	743.32	1.00	221.61
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	324.13	273.56	11.12	50.57
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,144.19	143.34	6.00	1,000.85
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	330.45	264.67	31.70	65.78
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,484.71	2,706.27	50.13	778.44
6.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,999.44	1,905.70	209.11	93.74
7.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,066.89	918.04	5.33	148.85
8.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	90.95	62.20	30.00	28.75
9.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	329.04	310.39	56.05	18.65
10.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,241.57	65.25	7.69	1,176.32
11.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,417.21	4,393.44	64.65	1,023.77
12.	37	नगर विकास विभाग	6,907.80	4,749.13	592.80	2,158.67
13.	39	भाषा विभाग	22.75	22.18	1.72	0.57
14.	40	नियोजन विभाग	286.74	186.58	1.00	100.16
15.	42	न्याय विभाग	1,718.57	1,343.25	56.94	375.32
16.	43	परिवहन विभाग	232.31	185.99	9.32	46.32
17.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	14.21	13.66	1.60	0.55
18.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,752.54	4,906.25	260.44	846.29
19.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	797.51	711.87	1.49	85.64
20.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	4,965.50	2,833.00	2,000.00	2,132.50
21.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,185.92	2,685.35	98.86	500.57
22.	65	राजस्व विभाग (लेखापरीक्षा, अल्पबचत आदि)	255.25	207.32	2.10	47.93
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,430.12	8,037.09	1.03	393.03
24.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,247.11	1,820.07	33.25	427.04
25.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	149.37	115.21	4.81	34.16
26.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	301.49	257.04	4.50	44.45
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,869.29	5,483.71	1.00	385.58

28.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	239.49	223.66	23.87	15.83
29.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	12,523.18	10,869.33	50.36	1,653.85
30.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	904.65	698.35	15.00	206.30
31.	92	संस्कृति विभाग	69.03	58.81	11.30	10.22
32.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,208.78	2,170.24	64.00	38.54
			73,475.12	59,364.27	3,708.17	14,110.85
jktLo &Hkkfj r						
33.	9	ऊर्जा विभाग	4,008.18	3,691.77	49.01	316.41
34.	42	न्याय विभाग	311.78	291.83	20.85	19.95
			4,319.96	3,983.60	69.86	336.36
i rthxr &nÜker						
35.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	776.60	356.83	13.06	419.77
36.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,213.51	8,530.35	617.80	2,683.16
37.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	175.37	158.27	87.81	17.10
38.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,501.50	1,289.45	240.00	212.05
39.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,318.57	2,164.18	344.00	154.39
40.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	842.20	581.03	20.00	261.17
41.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	202.00	196.59	100.00	5.41
42.	42	न्याय विभाग	1,090.51	598.09	89.00	492.42
43.	43	परिवहन विभाग	233.15	177.78	57.66	55.37
44.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	257.26	175.71	1.00	81.55
45.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	902.39	712.51	155.13	189.88
46.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	411.92	405.01	2.00	6.91
47.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	243.65	242.94	1.83	0.71
48.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,271.45	55.00	60.00	1,216.45
49.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	526.71	367.45	76.80	159.26
50.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	31.60	14.22	5.00	17.38
51.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	185.46	145.38	2.64	40.08
52.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	45.22	17.13	2.67	28.09
53.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,048.64	7,897.10	1,326.44	1,151.54
54.	86	सूचना विभाग	24.00	0.00	10.00	24.00
55.	92	संस्कृति विभाग	52.38	35.16	6.77	17.22
56.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	6,597.97	5,678.05	715.00	919.92
			37,952.06	29,798.23	3,934.61	8,153.83
			1,15,747.14	93,146.10	7,712.64	22,601.04

lkj f' k"V 2.7

fuf/k; k dk vf/kd@vuko'; d i ufofu; kx
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.6 पृष्ठ 32)

(₹ yk[k e)

Ø0 l 0	vupku l a[; k	vupku dk uke	ys[kk 'kh"z	i ufofu; kx	vkf/kD;	ckpr (-)
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-03	407.03	0.00	22.19
2.	02	आवास विभाग	4217-60-800-05	1,114.50	4,796.23	0.00
3.	04	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	2853-02-001-03	192.87	0.00	29.27
4.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	4859-02-800-10	4,000.00	0.00	5,000.00
5.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-001-03	410.00	0.00	4.05
6.			2058-103-04	1.25	1.27	0.00
7.	09	ऊर्जा विभाग	4801-06-190-06	83,792.00	0.00	14,210.18
8.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-001-03	2.46	0.86	0.00
9.			2401-119-01	100.43	0.00	139.42
10.			2851-001-03	10.00	0.00	199.33
11.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2415-80-120-09	238.29	0.00	385.34
12.			4415-80-277-27	570.14	0.00	355.64
13.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-01-800-03	1,492.22	0.00	672.17
14.			2515-102-06	19.00	0.00	283.35
15.			2515-001-03	362.13	0.00	14.20
16.			2515-800-07	443.80	0.00	300.00
17.			2515-800-08	4,737.00	300.00	0.00
18.			4215-01-102-02	5,462.86	6,032.98	0.00
19.			4216-03-800-04	1,11,138.29	0.00	1,11,138.29
20.			5054-04-337-03	41,829.74	25,071.83	0.00
21.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-102-13	92.00	0.00	0.58
22.			2403-102-22	100.00	31.24	0.00
23.			2403-104-01	21.00	0.00	25.00
24.			2403-106-03	200.00	0.00	61.96
25.			2403-107-01	15.00	0.00	0.70
26.			2403-113-01	123.50	0.00	187.49
27.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-101-02	1,631.70	0.00	1,631.70
28.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-001-06	12.00	0.00	14.75
29.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	3475-106-04	1.00	0.00	17.76
30.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	68.35	6.30	0.00
31.			2056-102-03	150.00	2.17	0.00
32.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	8.00	0.00	47.02
33.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2235-60-800-03	4,000.00	0.00	15.52
34.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-04	1,206.79	4,279.14	0.00
35.			2210-01-110-97	5,582.89	0.00	12.38
36.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-05-101-06	19.98	0.00	1,485.35
37.	37	नगर विकास विभाग	2215-01-192-04	1,132.46	698.89	0.00

38.			2215-02-191-04	1,282.69	863.98	0.00
39.			2217-04-051-03	5,000.00	0.00	4,372.72
40.			2217-80-191-04	115.71	0.00	54.41
41.			2217-80-193-04	40.00	0.00	57.50
42.			4215-01-101-97	25,000.00	99.81	0.00
43.			6215-02-193-04	500.00	0.00	368.58
44.	39	भाषा विभाग	2202-05-102-05	1.50	0.00	8.50
45.	40	नियोजन विभाग	2575-02-800-04	5,000.00	81.86	0.00
46.			2575-06-105-05	30.00	0.00	30.00
47.			3451-092-05	5.80	0.00	6.14
48.			3454-02-001-03	3.52	0.32	0.00
49.			3454-02-001-04	5,689.19	0.00	236.11
50.			4515-800-05	1,500.00	4.67	0.00
51.			4575-02-800-04	11,189.00	1,892.03	0.00
52.			4575-06-102-03	61.87	123.57	0.00
53.			4575-06-800-15	158.63	0.00	158.63
54.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	167.22	12.61	0.00
55.			2015-106-04	66.22	0.00	3.95
56.	42	न्याय विभाग	4216-01-700-10	2,163.60	5,291.66	0.00
57.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-03	140.00	0.00	32.91
58.			5452-80-104-08	443.31	75.12	0.00
59.			2203-105-03	33.30	0.00	498.62
60.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-800-03	162.00	0.00	0.37
61.			4202-02-104-58	950.24	0.00	650.24
62.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-03	30.00	71.87	0.00
63.			4202-01-800-01	2,072.83	0.00	2,072.83
64.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-190-06	40.27	0.00	40.27
65.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-60-051-04	72.22	0.00	72.22
66.			4059-80-051-18	200.00	111.80	0.00
67.			4059-80-051-23	190.80	24.17	0.00
68.			4216-01-106-03	625.00	152.71	0.00
69.			4216-01-700-05	200.00	177.82	0.00
70.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-03-337-03	1,100.00	34,795.42	0.00
71.			5054-04-337-11	1,100.00	4,560.81	0.00
72.			5054-04-337-13	1,700.00	20,567.67	0.00
73.			5054-04-337-58	10,000.00	20,082.43	0.00
74.			5054-04-337-75	1,100.00	3,777.49	0.00
75.			5054-04-800-04	10,800.00	33,488.27	0.00
76.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	208.02	50.00	0.00
77.			2059-60-053-03	30.88	35.01	0.00
78.	60	वन विभाग	2235-60-200-04	100.00	70.30	0.00
79.			4406-01-102-05	930.66	0.00	0.01
80.			4406-02-110-15	170.17	0.53	0.00
81.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-01-123-04	31,614.85	0.01	0.00
82.			2049-01-200-03	328.03	0.01	0.00
83.			2049-01-305-03	1,947.15	0.00	0.01

84.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्पबचत आदि)	2070-105-03	50.00	0.00	331.05
85.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-101-03	800.75	89.48	0.00
86.			2011-02-103-03	170.00	0.00	0.02
87.			4059-80-800-04	35.25	0.00	35.25
88.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01	3.18	6.00	0.00
89.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-01-102-04	2,100.00	0.00	629.20
90.			2202-02-001-03	67.70	19.13	0.00
91.			2202-05-103-04	2,000.00	0.00	10.76
92.			2202-05-103-05	387.09	0.00	237.68
93.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-001-03	82.00	0.00	249.66
94.			2202-03-001-04	12.00	0.00	29.32
95.			2202-03-102-27	100.00	0.00	100.00
96.			2202-03-103-03	675.00	0.00	12,195.18
97.			4202-01-203-08	655.18	0.00	655.18
98.			4202-01-203-19	89.82	0.00	189.82
99.			4202-01-203-29	255.00	0.00	1,755.00
100.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-107-04	28.00	0.00	341.19
101.			2070-107-07	892.00	0.00	29.36
102.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-001-03	16.35	0.00	7.95
103.			2202-80-003-05	12.18	0.00	5.65
104.			2202-80-003-10	764.69	0.00	434.45
105.			2202-80-003-11	52.66	0.00	3.62
106.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-03	9.09	3.57	0.00
107.			2210-01-102-04	0.17	0.00	0.70
108.			2210-01-102-05	2.40	0.00	10.01
109.			2210-01-102-06	2.50	0.00	21.70
110.			2230-01-001-03	20.10	0.00	88.26
111.			2230-01-101-03	4.61	0.99	0.00
112.			2230-01-102-03	0.66	0.00	0.02
113.			2230-01-103-04	11.13	0.00	5.39
114.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-104-03	295.00	0.00	0.01
115.			2251-090-03	40.00	71.46	0.00
116.			2251-090-04	4.38	0.00	5.39
117.			3451-090-03	50.00	60.16	0.00
118.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-03	2,599.88	8.50	0.00
119.			2235-02-101-03	227.42	0.00	159.62
120.			2235-02-101-10	1,767.00	0.00	0.23
121.			4235-02-101-11	212.13	400.00	0.00
122.			4235-02-101-28	400.00	0.00	0.01
123.			4235-02-101-29	622.52	0.00	0.01
124.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2225-01-789-01	200.00	0.00	27,408.10
125.			2235-01-789-09	101.54	0.00	99.51
126.			2235-02-789-07	91.70	0.00	92.71
127.			4225-01-789-10	3,005.62	0.00	2,433.64
128.			4575-02-789-03	300.00	14.51	0.00
129.	86	सूचना विभाग	2220-60-001-03	519.58	0.01	0.00
130.			2220-60-111-03	4.70	0.00	0.01

131.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-03	2.00	0.00	21.39
132.			2052-091-06	12.00	0.00	103.81
133.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-03	10.26	296.99	0.00
134.			2040-800-05	18.25	10.42	0.00
135.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-03	100.00	0.00	387.53
136.	92	संस्कृति विभाग	2205-001-03	10.00	0.00	338.92
137.			2205-103-01	11.90	0.00	24.31
138.			2700-08-101-03	83.45	0.00	0.41
139.			2700-09-101-03	26.22	42.45	0.00
140.			2701-36-101-03	5.00	0.00	0.44
141.			2701-64-101-03	80.41	0.00	0.01
142.			2701-68-101-03	10.25	0.00	0.01
143.			4700-04-051-10	1,309.74	0.00	1,599.12
144.			4700-05-051-10	2,646.72	0.00	2,842.84
145.			4700-09-051-15	33,151.58	0.00	2,367.69
146.			4700-19-051-10	1,000.00	0.00	358.71
147.			4700-20-051-10	5,000.00	0.00	95.88
148.			4700-23-051-10	1,500.00	0.00	52.94
149.			4700-97-051-10	200.00	0.00	3,322.02
150.			4701-34-051-10	8,049.21	0.00	7,821.03
151.			4701-78-051-10	1,000.00	0.00	0.01
152.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4702-101-03	150.00	0.00	618.27
153.			4702-101-04	250.00	0.00	264.73
154.			4702-102-03	343.00	0.00	5790.19
155.			4711-01-103-01	718.76	0.00	9302.35
156.			4711-01-103-03	303.61	0.00	59.95
157.			4711-01-103-06	950.23	0.00	250.48
158.			4711-01-103-08	300.00	0.00	679.95
159.			4711-01-103-09	2,758.94	687.35	0.00
160.			4711-03-103-03	1,903.05	0.00	471.25
161.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2700-32-800-97	63.00	0.00	170.53
162.			2701-02-001-05	500.00	0.00	60.72
				4,77,161.92	1,69,343.88	2,29,488.81
				4,771.62	1,693.44	2,294.89
				dj kM+	dj kM+	dj kM+

lkj f' k"V 2.8

Ok"kl 2016-17 eā vR; f/kd /kujkf' k; kā dk vH; i Zk

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 32)

Ø0 l 0	vupku l a; k	vupku dk uke	; ktuk dk uke kys[kk' kh"klz	i ko/kku	vH; fi r /kujkf' k	vH; fi r /kujkf' k %i fr'kr eH
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-04-जिला कार्यकारी अधिष्ठान	20.00	19.42	97
2.	2	आवास विभाग	4216-01-106-03-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के टावर्स का निर्माण	4,500.00	2,500.00	56
3.			4217-60-190-03-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूजी विनियोजन	5,000.00	5,000.00	100
4.			4217-60-190-04- वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूजी विनियोजन	5,000.00	5,000.00	100
5.			6217-03-800-03- ब्रज नियोजन एवं विकास बोर्ड को ऋण	1,000.00	1,000.00	100
6.			3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-26- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान	260.00
7.	2851-800-08- समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना	1,000.00			950.00	95
8.	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	2851-105-10- बुन्देलखंड के नक्सल प्रभावित जनजाति बाहुल्य एवं अन्य पिछड़े जनपदों में न्यू मॉडल चर्खा वितरण	1,500.00	1,500.00	100
9.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-102-03- उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत मेगा परियोजना का क्रियान्वयन	1,000.00	1,000.00	100
10.			2851-102-04-उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना	2,000.00	1,564.26	78
11.			2851-103-06- समाजवादी हथकरघा पेंशन योजना	3,000.00	2,865.69	96
12.			2851-108-04- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति	15,000.00	15,000.00	100
13.			2851-108-07- जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना	1,500.00	827.25	55
14.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-04- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति -2014 का क्रियान्वयन	1,100.00	1,023.82	93
15.			2852-07-202-22- इलेक्ट्रॉनिक मिशन निदेशालय	113.10	93.10	82
16.			2852-80-800-08-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश	405.00	268.39	66
17.			2852-80-800-10- भारी उद्योग निवेश नीति के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन	41,500.00	41,500.00	100
18.			2852-80-800-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेस वे परियोजना	520.00	320.00	62

19.			4059-80-800-03-जनपद कन्नौज में परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम	10,000.00	10,000.00	100
20.			4859-02-800-13- कमांड सेन्ट्रों की स्थापना	4,392.00	4,392.00	100
21.			6885-01-190-06- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना	27,596.00	27,596.00	100
22.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-108-07- उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति- 2014 का क्रियान्वयन	34.00	25.28	74
23.			2401-119-04- फल	7,498.50	4,775.21	64
24.			4401-119-01- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ।	730.00	436.25	60
25.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2515-800-03-मण्डलीय विकास निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान	52.98	49.36	93
26.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	4515-102-04- विकास खंडों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	2,500.00	2,500.00	100
27.			4515-103-03- आई. स्पर्श योजना	30,000.00	24,710.23	82
28.			4702-102-13- क्षेत्रीय भू-जल हब की स्थापना	315.00	240.00	76
29.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2070-003-08- भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण	195.87	123.94	63
30.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	4059-60-051-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	664.00	586.96	88
31.			4408-01-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,497.66	2,432.01	54
32.			4408-01-101-04-डबल फोर्टिफाइड नमक	8,524.95	3,695.96	43
33.	22	खेल विभाग	4202-03-800-83-जनपद गाजीपुर में नवीन स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	500.00	500.00	100
34.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-111-03-गन्ना उत्पादन कार्यक्रम के कार्यों एवं उसके आयतों का अध्ययन	44.80	23.71	53
35.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-08-201-06-सहकारी समितियों को सहायता	22,350.00	22,350.00	100
36.			2852-08-201-07-कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति	93,600.00	93,600.00	100
37.			2852-08-201-08-चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत छूट	2,500.00	1,275.00	51
38.			2852-08-201-09-मे. जसवन्त शुगर मिल मलियाना मेरठ के भूमि के मुआवजे/प्रतिकर का भुगतान	269.00	269.00	100
39.	25	गृह विभाग (जेल)	2056-001-03- मुख्य	10.00	10.00	100
40.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2052-091-04-जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों के लिये आनुषंगिक व्यय	24.54	21.74	89
41.			2251-200-06- मृतक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता	10.00	5.61	56

42.			3055-190-04-आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा	400.00	296.79	74
43.			4250-800-03- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/ स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी आदि के लिये	30.00	30.00	100
44.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-08-रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना	3,594.00	2,787.94	78
45.			4210-03-105-10-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एच.एस.वाई)	2,000.00	2,000.00	100
46.			4210-03-105-39- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर	1,807.00	1,095.15	61
47.			4210-03-105-63- पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	74.80	74.80	100
48.			4210-03-105-64- राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई.सी. यू.) की स्थापना	95.01	95.01	100
49.			6075-800-03-एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये रिवाँलविंग फंड	100.00	100.00	100
50.			32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-06- मंडल मुख्यालय पर डायलिसिस यूनिट की स्थापना	1,000.00
51.	2210-01-110-07- किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	3,000.00			2,117.05	71
52.	2210-01-110-08- राज्य कर्मचारियों को असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैश लेस चिकित्सा सुविधा	25.00			25.00	100
53.	2210-03-110-04- किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	3,000.00			2,047.96	68
54.	2210-03-110-05- बी.एम.जी.एफ. के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण	2,000.00			2,000.00	100
55.	2210-80-800-06- आरोग्य निधि की स्थापना	500.00			411.05	82
56.	2210-80-800-07- जे.ई./ए.ई.एस. से मृत व्यक्तियों के परिवार तथा विकलांग व्यक्तियों को सहायता	500.00			282.50	57
57.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			2210-80-800-08- क्लीन ग्रीन अभियान	10.00
58.			2210-80-800-09- विभागीय वेबसाइटों का संचालन	500.00	500.00	100
59.			2210-80-800-10- लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आकस्मिक चिकित्सा सुविधा	440.40	440.40	100
60.			2210-01-001-03- निर्देशन	20.00	14.30	72
61.			4210-01-110-10- चौरघर का निर्माण	807.50	583.65	72

62.			4210-01-110-13- जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण	95.00	59.22	62
63.			4210-01-110-16-अलीगढ़ में 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन निर्माण	95.00	95.00	100
64.			4210-01-110-19- प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का भवन निर्माण (जिला योजना)	617.50	386.27	63
65.			4210-01-110-24- विधूना, ओरैया में डा. राम मनोहर लोहिया 50 शैय्यायुक्त नेत्र चिकित्सालय की स्थापना	636.16	318.08	50
66.			4210-01-110-72- 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना	4,750.00	2,708.04	57
67.			4210-01-110-79- डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ का परिसर का विस्तार	1,900.00	1,900.00	100
68.			4210-02-104-10- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	2,514.05	1,325.81	53
69.			4210-02-110-17- जनपद बुलन्दशहर के ग्राम औरंगाबाद (अहीर) सिकन्दराबाद में 100 शैय्या चिकित्सालय का भवन निर्माण	2,000.00	2,000.00	100
70.	37	नगर विकास विभाग	2070-800-05-पशु वधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	27.70	17.62	64
71.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-80-800-03- हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय	10,000.00	10,000.00	100
72.			5053-80-800-04- हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत	200.00	157.23	79
73.	40	नियोजन विभाग	2575-06-105-04- कौशल विकास मिशन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	300.00	300.00	100
74.			2575-06-800-04- समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	50.00	100
75.			3425-60-004-03- इनोवेशन सेल की स्थापना	30.00	30.00	100
76.			3425-60-004-04- राज्य इनोवेशन फंड	900.00	900.00	100
77.			3425-60-004-05- इनोवेशन हेतु पुरस्कार	70.00	70.00	100
78.			3451-092-07- राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था)	50.00	44.08	88
79.			3451-800-06- सुशासन के क्षेत्र में इनोवेशन करने वाली सामाजिक संस्थाओं/संगठनों को बढ़ावा देने हेतु अनुदान	100.00	100.00	100
80.			4575-06-800-04- होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100
81.			4575-06-800-07- सामुदायिक भवनों का निर्माण	50.00	38.48	77
82.			4575-06-800-08- आयुर्वेदिक औषधालयों का भवन निर्माण	5.00	5.00	100

83.			4575-06-800-11- मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	100.00	69.51	70
84.			4575-06-800-12- अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय के चहारदीवारी एवं परिसर में रोड के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	29.36	59
85.			4575-06-800-13- शौचालय निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	600.00	329.74	55
86.			4801-05-800-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	12,300.01	7,300.01	59
87.			4801-80-800-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	2,000.01	1,589.53	79
88.	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-03- सामान्य निर्वाचन	1,271.31	702.49	55
89.			2015-105-04- उप चुनाव	391.00	387.31	99
90.			3055-800-05- उ.प्र. सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1,500.00	1,284.58	86
91.			3055-800-97- बाह्य सहायतित योजनाएं	1,000.00	1,000.00	100
92.			4047-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	500.00	500.00	100
93.	43	परिवहन विभाग	4059-01-051-15- संम्भागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में भवन निर्माण	1,700.00	1,700.00	100
94.			4059-01-051-16- संम्भागीय परिवहन कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर में भवन निर्माण	1,500.00	1,493.02	100
95.			4059-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	497.76	497.76	100
96.			5055-800-05- उ.प्र. सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	3,500.00	2,420.32	69
97.			3452-80-800-08- प्रदेश में वायु सेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अंडरराईट हेतु	1,500.00	1,210.00	81
98.			5452-80-104-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	8,500.00	6,663.46	78
99.			5452-80-104-03- पर्यटक आवास गृहों के लिये भूमि की अध्याप्ति	25.00	25.00	100
100.			5452-80-104-21- अयोध्या के पर्यटन विकास की योजना	100.00	100.00	100
101.	44	पर्यटन विभाग	5452-80-104-28- कुशीनगर में निर्मित पथिक निवास में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	30.00	30.00	100
102.			5452-80-104-31- गोमती नदी में कूज बोट का संचालन	2,000.00	2,000.00	100
103.			5452-80-104-32- काकोरी का पर्यटन विकास	500.00	250.82	50
104.			5452-80-104-14- ऐतिहासिक / पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	1,000.00	985.29	99

105.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-112-17- प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा फीस निर्धारण हेतु	45.32	26.28	58
106.			2203-112-21- इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना	1,600.00	1,582.04	99
107.			4202-02-105-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	6,453.00	5,933.00	92
108.			4202-02-105-06- कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुलतानपुर को सहायक अनुदान (जिला योजना)	260.00	130.00	50
109.			4202-02-105-15- स्किल डेवलपमेंट एवं डिजाइन इन्स्टीट्यूट, जनपद उन्नाव	1,418.00	1,118.00	79
110.			4202-02-105-20- जनपद प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	100.00	100.00	100
111.			48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06-रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ.प्र. इलाहाबाद	83.31
112.	2070-800-03- उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण	427.60			350.67	82
113.	2071-01-117-03-सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये	1,000.00			1,000.00	100
114.	2202-01-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	33,636.90			17,779.18	53
115.	2202-01-800-06- अरबी फारसी मदरसों को पोषण	10.00			5.85	59
116.	2202-02-800-12- राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना	7.25			6.55	90
117.	2225-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	64,436.56			64,291.67	100
118.	2235-02-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,750.00			4,303.28	75
119.	4202-01-800-04- अखिल भारतीय प्रशासनिक/प्रादेशिक सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान	395.54			395.54	100
120.	4202-01-800-05- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना	8,500.00			4,464.17	53
121.	4250-800-03- हज हाउस, लखनऊ तथा गाजियाबाद का निर्माण	1,512.26			1,512.26	100
122.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-093-03- कलेक्ट्रेट की स्थापना	15.00	15.00	100
123.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2235-02-200-03- अन्य राज्य सरकारों को दैवी आपदा के समय सहायता	10.00	5.00	50
124.			2245-05-800-04- दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता	2,25,000.00	1,69,193.43	75

125.			2245-80-800-06- उ.प्र. आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	300.00	200.00	67
126.			2245-80-800-07- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	300.00	245.54	82
127.			4070-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	250.00	250.00	100
128.			4250-101-05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100
129.			4250-101-06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100
130.			4250-101-07- उ.प्र. आपदा प्रबंध प्राधिकरण	500.00	453.05	91
131.			2029-800-05- भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण	947.29	946.44	100
132.			2059-80-053-03- राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	15.00	15.00	100
133.			2075-800-06- वक्फों, न्यासों और धर्मस्वों को देय वार्षिक वृद्धियां	12.00	11.77	98
134.			2216-01-700-03- राजस्व परिषद के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	15.00	15.00	100
135.			2029-001-03- भूमि अध्यापित-सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100
136.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-101-03- भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	10.50	100
137.			4059-01-800-04- राजस्व परिषद, लखनऊ/इलाहाबाद के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	120.00	120.00	100
138.			4059-01-800-10- राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	10.00	10.00	100
139.			4216-01-700-03- राजस्व परिषद के आवासीय भवन	10.00	10.00	100
140.			4216-01-700-05- राजस्व परिषद के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	112.16	83.00	74
141.			6003-106-03- ब्याज वाले बंधपत्र	5.00	5.00	100
142.			2070-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	60.00	38.30	64
143.			2070-800-03- मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान	15.00	7.50	50
144.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-08- महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	17.31	66
145.			2070-800-09- जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	8.01	53
146.			2070-800-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	10.00	7.50	75
147.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	5054-04-101-36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	5,000.00	2,597.08	52

148.			5054-03-337-84- एक लाख से अधिक आबादी के शहरों के बाई-पास का निर्माण	3,000.00	2,000.00	67
149.			5054-04-337-06- इंडो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था	22,000.00	15,000.00	68
150.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-05-337-97- बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट	58,500.00	38,288.22	65
151.			5054-80-800-04- मूल्यहास निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	2,000.00	2,000.00	100
152.			5054-80-800-03- अन्य व्यय	1,200.00	1,058.32	88
153.			2406-02-110-04- बर्ड फेस्टिवल का आयोजन	100.00	50.00	50
154.			2406-02-110-05- जंगल लॉजेज एवं रिजॉर्ट सोसाइटी	100.00	85.00	85
155.			2406-01-001-04- अधिष्ठान	13.70	7.99	58
156.	60	वन विभाग	4406-01-800-17- गौरा हरदो, आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास	500.00	264.93	53
157.			4406-02-110-18- साण्डी पक्षी विहार, हरदोई में वन विश्राम गृह का निर्माण	50.00	50.00	100
158.			4406-02-111-11- कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर में तितली पार्क	95.00	68.50	72
159.			2235-60-200-03- मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	65.55	66
160.			4070-800-03- परियोजनाओं के डी.पी. आर. पर होने वाला व्यय	500.00	500.00	100
161.			6075-800-03- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता	10,000.00	8,264.00	83
162.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	7610-202-03- राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय के लिये अग्रिम	1,000.00	655.37	66
163.			7610-204-03- राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम	80.00	74.30	93
164.			7610-201-03- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय, निर्माण/मरम्मत या विस्तार के लिये अग्रिम	60.00	59.00	98
165.			2054-097-04- कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण	100.00	92.43	92
166.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	4059-01-051-03- प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/उप कोषागारों में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य	200.00	166.00	83
167.	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-02-102-03- विद्यायिका परिषद	72.92	25.76	35
168.			2230-03-101-04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण	122.59	100.86	82
169.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	4250-203-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	380.06	228.36	60
170.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-053-04- प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल के भवनों का रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	500.00	100

171.			2202-01-102-32- प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म	4,000.00	2,066.36	52
172.			2202-01-105-03- अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी का अधिष्ठान व्यय	1,816.00	1,816.00	100
173.			2202-01-105-11- साक्षर भारत मिशन-2012	273.94	155.81	57
174.			2202-01-800-04- प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाना	15,000.00	9,084.81	61
175.			2202-01-800-09- साक्षरता निकेतन, लखनऊ परिसर छात्रावास का निर्माण	100.00	100.00	100
176.			2202-80-800-04- "सभी के लिये शिक्षा" की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर बजट कार्य तथा अन्य योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोषक की स्थापना	10.32	8.89	86
177.			2202-80-800-05- राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा	10.00	10.00	100
178.			4202-01-201-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	95,553.55	95,553.55	100
179.			4202-01-201-03- जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	312.36	168.45	54
180.			4202-01-201-05- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	26,358.30	26,354.91	100
181.			4202-01-201-10- मॉडल प्राथमिक विद्यालय	1,500.00	1,500.00	100
182.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9-10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	8.00	6.24	78
183.			2202-02-107-13-हाईस्कूल और इंटर छात्र वृत्तियों की दरों में वृद्धि	42.50	24.54	58
184.			2202-02-107-19-राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज देहरादून में अध्ययनरत उ.प्र. के छात्रों को छात्रवृत्ति	10.80	7.68	71
185.			2202-02-109-06-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश (जिला योजना)	176.76	100.77	57
186.			2202-02-110-05- सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण	5.00	5.00	100
187.			2202-02-110-08-अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	38.75	78

188.			2202-02-800-03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.76	23.76	100
189.			2202-02-800-07- शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग	50.00	37.79	76
190.			2202-02-800-15- राज्य मुक्त विद्यालय परिषद	20.00	20.00	100
191.			2202-02-800-22- एक सुर एक ताल कार्यक्रम	50.00	26.09	52
192.			2202-02-800- 27- उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का भुगतान	20,000.00	10,855.73	54
193.			4202-01-202-15- केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	10.00	8.01	80
194.			4202-01-202-23- उ.प्र. सैनिक स्कूल	10.00	10.00	100
195.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-04-परिषद का हिन्दी भाषा विभाग राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	106.18	53.74	51
196.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-103-08- बाल श्रम अनुदान	28.92	15.75	54
197.			4250-201-03- औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी का निर्माण	1,000.00	1,000.00	100
198.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-800-03- मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय	245.01	167.95	69
199.			2052-090-05- संसदीय कार्य विभाग	11.70	9.63	82
200.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2217-05-796-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	50.00	38.80	78
201.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-80-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,198.63	1,822.00	57
202.			2204-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	100.70	100.70	100
203.			2217-05-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	12,500.00	12,500.00	100
204.			2230-02-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,450.00	4,356.63	80
205.			2515-789-05- अम्बेडकर रोजगार योजना	600.00	600.00	100
206.			2852-80-789-04-निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे परियोजनाएं	10.00	10.00	100
207.			4202-02-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	497.00	367.00	74
208.			4202-02-789-17-स्किल्स इन्स्टीट्यूट, उन्नाव की स्थापना	420.00	420.00	100
209.			4202-03-789-04- सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण	36.71	36.71	100
210.			4210-02-789-09-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	668.29	587.06	88
211.			4210-03-789-08- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	302.97	302.97	100

212.			4210-03-789-09- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	636.30	445.42	70
213.			4210-03-789-10- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	21.21	21.21	100
214.			4210-03-789-11- राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	424.20	328.76	78
215.			4210-03-789-12- राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	474.74	379.30	80
216.			4210-03-789-13- राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	466.62	371.18	80
217.			4210-03-789-14- राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	397.40	248.78	63
218.			4210-03-789-16- राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	1,272.60	1,272.60	100
219.			4210-03-789-17- राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	848.40	848.40	100
220.			4210-03-789-19- पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	21.21	21.21	100
221.			4210-03-789-20- मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैथ्या का बाल रोग चिकित्सा संस्थान	1,272.60	1,272.60	100
222.			4210-03-789-21- मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल	318.15	318.15	100
223.			4210-03-789-22- मेडिकल कालेज, कन्नौज में कैसर अस्पताल	318.15	318.15	100
224.			4210-03-789-25- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट	84.84	84.84	100
225.			4210-03-789-32-राजकीय मेडिकल कालेज, चन्दौली	106.05	106.05	100
226.			4216-02-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,000.00	2,484.03	83
227.			4406-01-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	17.55	17.55	100
228.			4406-01-789-04- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी.सी.एल. प्रणाली)	316.05	34.94	11
229.			4702-789-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1,677.00	974.92	58
230.			4801-06-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	30,000.00	30,000.00	100
231.			4801-06-789-07- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो हेतु अंशपूजी	7,300.00	7,300.00	100
232.			5054-04-789-21- नाबार्ड पोषित आर. आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	1,345.98	699.12	52
233.			4210-03-789-30- पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट, सैफई, इटावा	100.00	99.00	99
234.	84	सामान्य प्रशासन	2075-800-05- महारानी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार योजना	6.00	6.00	100

235.		विभाग	4250-800-04- चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास/निर्माण	1,375.00	824.68	60
236.	86	सूचना विभाग	2220-01-003-02- फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान	500.00	250.00	50
237.			2220-01-105-06- डिजिटल प्रसारण योजना	40.45	35.85	89
238.			2220-60-103-04- टैलीप्रिन्टर योजना	18.53	14.49	78
239.			2220-60-800-07- फिल्म विकास निधि की स्थापना	1,500.00	1,500.00	100
240.			4059-01-051-03- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र. के मुख्यालय भवन का निर्माण	2,400.00	2,400.00	100
241.			4059-80-800-03- फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100
242.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2235-60-110-03- समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु	2,060.00	1,035.87	50
243.			4059-01-051-03- जनपद लखनऊ में संस्थागत वित्त निदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण	3,800.00	1,900.00	50
244.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-07- उ.प्र. पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना	500.00	486.60	97
245.			2040-800-09- जी.एस.टी.एन. से सम्बन्धित व्यय	6,273.00	3,975.22	63
246.			2040-800-10- जी.एस.टी. का क्रियान्वयन	3,000.00	1,867.68	62
247.			2040-800-03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	10.00	6.29	63
				11,08,684.25	9,28,048.29	
				11,086.84	9,280.48	

lkj f' k"V 2.9

okLrfod cpr l s vf/kd vH; i Lk ₹ 50 yk[k ; k vf/kd½
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.8 पृष्ठ 33)

₹ dj km+ e

Ø0 l Ø	vunku l a[; k	vunku@foHkkx dk uke	dj vunku	cpr	vH; fi r /kuj kf' k	vf/kd vH; fi r /kuj kf' k
jktLo&nUker						
1.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	6,965.50	4,132.50	4,468.69	336.19
2.	68	विधान सभा सचिवालय	134.44	0.05	0.94	0.89
3.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,431.15	394.07	614.86	220.79
4.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	767.32	105.26	107.30	2.04
fuoy ; kx			16,298.41	4,631.88	5,191.79	559.91
i wthxr&nUker						
5.	43	परिवहन विभाग	290.81	113.03	117.85	4.82
6.	44	पर्यटन विभाग	423.45	124.54	125.29	0.75
fuoy ; kx			714.26	237.57	243.14	5.57
egk; kx			17,012.67	4,869.45	5,434.93	565.48

lkfj f' k"V 2.10

vupnku@fofu; kxk dk foj.k] ftuea cpr gpl ijUrql ml dk
dkbz Hkkx vH; fi'r ugha fd; k x; k
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.9 पृष्ठ 33)

₹ djkM+ eH

Ø0 l d	vupnku l a[; k	vupnku@fofu; kx dk uke	Ckpr		
			jktLo	i thxr	
I-vupnku					
1.	09	ऊर्जा विभाग	371.79	248.01	
2.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	-	432.83	
3.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	-	0.82	
4.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	154.19	104.92	
5.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	5.03	46.05	
6.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	58.75	-	
7.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.86	-	
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	886.35	452.05	
9.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	10.69	-	
10.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.89	-	
11.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	240.85	4.37	
12.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	89.27	3.58	
13.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,263.58	188.99	
14.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	-	3.93	
15.	42	न्याय विभाग	432.26	581.42	
16.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,106.73	35.60	
17.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	28.70	265.43	
18.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	50.04	-	
19.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	460.29	57.84	
20.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4.28	22.38	
21.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	34.29	42.72	
22.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	386.58	-	
23.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	36.99	2.00	
24.	92	संस्कृति विभाग	21.52	23.98	
25.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	102.54	1,634.91	
26.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,180.41	-	
			; kx	6,942.88	4,151.83
II – fofu; kx					
27.	09	ऊर्जा विभाग	365.42	-	
28.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	-	

29.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	0.05	-	
30.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.14	4.50	
31.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	-	0.10	
32.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.27	-	
33.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.02	-	
34.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	-	
35.	42	न्याय विभाग	40.79	2.95	
36.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.08	-	
37.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	-	
38.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	9.94	-	
39.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	-	
40.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	9.13	
41.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.30	-	
			; kx	418.24	16.68
			egk; kx	7,361.12	4,168.51
			jktlo vks i rthx dk ; kx	11,529.63	

lkj f' k"V 2.11

vH; fi r u dh x; h ₹ , d djkm+ , oa ml l s vf/kd dh cpra
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.9; पृष्ठ 33)

₹ djkm+ eH

Ø0 l Ø	vupku l a[; k	vupku@fofu; ks dk uke	cpr	vH; izk	cpr; ftUga vH; fi r ugha fd; k x; k
jktLo & nUker					
1.	02	आवास विभाग	222.61	220.61	2.00
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	61.69	32.45	29.24
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,006.85	437.20	569.65
4.	09	ऊर्जा विभाग	371.79	0.00	371.79
5.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	97.48	87.59	9.89
6.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	828.58	26.99	801.59
7.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	103.67	19.67	84.00
8.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	302.86	77.10	225.76
9.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	95.73	63.26	32.47
10.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	154.19	0.00	154.19
11.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	5.03	0.00	5.03
12.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	58.75	0.00	58.75
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.86	0.00	16.86
14.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	74.71	38.40	36.31
15.	26	गृह विभाग (पुलिस)	886.35	0.00	886.35
16.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	10.69	0.00	10.69
17.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	32.08	16.99	15.09
18.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	152.08	147.95	4.13
19.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,088.42	730.30	358.12
20.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	240.85	0.00	240.85
21.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	89.27	0.00	89.27
22.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,263.58	0.00	1,263.58
23.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	281.30	266.59	14.71
24.	37	नगर विकास विभाग	2,751.47	729.56	2,021.91
25.	40	नियोजन विभाग	101.16	99.84	1.32
26.	42	न्याय विभाग	432.26	0.00	432.26
27.	43	परिवहन विभाग	55.64	50.17	5.47
28.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	64.72	54.83	9.89
29.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,106.73	0.00	1,106.73
30.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	599.42	594.01	5.41
31.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,778.37	310.19	1,468.18
32.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	28.70	0.00	28.70
33.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	50.04	0.00	50.04
34.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5.08	2.00	3.08

35.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2,414.62	1,935.32	479.30
36.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	460.29	0.00	460.29
37.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4.28	0.00	4.28
38.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	38.97	36.52	2.45
39.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	48.95	47.35	1.60
40.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	34.29	0.00	34.29
41.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	386.58	0.00	386.58
42.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.70	6.77	32.93
43.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,704.21	814.10	890.11
44.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	221.30	210.79	10.51
45.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	36.99	0.00	36.99
46.	92	संस्कृति विभाग	21.52	0.00	21.52
47.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	102.54	0.00	102.54
48.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,180.41	0.00	1,180.41
			21,113.66	7,056.55	14,057.11
i wthxr&nÜker					
49.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,483.82	1,233.82	250.00
50.	09	ऊर्जा विभाग	248.01	0.00	248.01
51.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	6.49	4.66	1.83
52.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	432.83	0.00	432.83
53.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,300.96	280.04	3,020.92
54.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	104.92	0.00	104.92
55.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	46.05	0.00	46.05
56.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	286.71	201.31	85.40
57.	22	खेल विभाग	33.78	13.98	19.80
58.	26	गृह विभाग (पुलिस)	452.05	0.00	452.05
59.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	281.17	259.80	21.37
60.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	4.37	0.00	4.37
61.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	3.58	0.00	3.58
62.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	188.99	0.00	188.99
63.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	3.93	0.00	3.93
64.	37	नगर विकास विभाग	39.58	30.25	9.33
65.	42	न्याय विभाग	581.42	0.00	581.42
66.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	82.55	74.11	8.44
67.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	35.60	0.00	35.60
68.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	62.05	4.44	57.61
69.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	8.91	7.45	1.46
70.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	117.50	115.97	1.53
71.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	265.43	0.00	265.43
72.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,276.45	1,275.34	1.11
73.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	236.07	0.23	235.84

74.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	57.84	0.00	57.84
75.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	22.38	0.00	22.38
76.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	42.72	0.00	42.72
77.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	30.77	0.47	30.30
78.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,477.98	791.13	1,686.85
79.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	13.25	8.25	5.00
80.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2.00	0.00	2.00
81.	92	संस्कृति विभाग	23.98	0.00	23.98
82.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,634.91	0.00	1,634.91
			13,889.05	4,301.25	9,587.80
jktLo- Hkkfjr					
83.	09	ऊर्जा विभाग	365.42	0.00	365.42
84.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.14	0.00	1.14
85.	42	न्याय विभाग	40.79	0.00	40.79
86.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	70.47	5.58	64.89
87.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	9.94	0.00	9.94
			487.76	5.58	482.18
i thxr - Hkkfjr					
88.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	4.50	0.00	4.50
89.	42	न्याय विभाग	2.95	0.00	2.95
90.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	9.13	0.00	9.13
			16.58	0.00	16.58
			35,507.05	11,363.38	24,143.67

i f' f' k"V 2.12
 0; ; dk vfrj d
 (संदर्भ: प्रस्तर 2.2.12; पृष्ठ 34)

₹ dj kM+ e%

Ø0 l d	eqf ; ' kh" kZ	0; ; dh i dfr	dy ctV	ekpl ea dy 0; ; %l dy%	i fr' krrk
jktLo					
1.	2202	सामान्य शिक्षा	55,376.66	11,841.28	21.38
2.	2049	ब्याज भुगतान	27,382.97	4,342.07	15.86
3.	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14,062.31	3,813.33	27.12
4.	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,230.95	3,280.61	62.72
5.	3054	सड़क तथा सेतु	6,834.44	3,247.44	47.52
6.	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	16,074.25	3,073.74	19.12
7.	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	10,687.52	2,692.75	25.20
8.	2211	परिवार कल्याण	6,227.65	2,399.70	38.53
9.	2055	पुलिस	13,137.95	2,213.75	16.85
10.	2210	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,468.96	1,736.05	18.33
11.	2217	नगर विकास	6,291.22	1,194.06	18.98
12.	2401	फसल कृषि –कर्म	3,232.52	538.61	16.66
13.	2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	545.78	233.84	42.85
14.	2015	चुनाव	516.74	207.51	40.16
15.	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	690.86	191.54	27.72
16.	2403	पशुपालन	1,126.15	184.72	16.40
17.	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	746.70	138.40	18.53
18.	2053	जिला प्रशासन	822.36	135.12	16.43
19.	2030	स्टाम्प और पंजीकरण	294.46	114.01	38.72
20.	2220	सूचना एवं प्रचार	636.69	103.59	16.27
21.	2056	कारागार	638.40	99.03	15.51
22.	3055	सड़क परिवहन	244.25	87.23	35.71
23.	2408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण	247.17	55.61	22.50
24.	2203	तकनीकी शिक्षा	350.39	53.42	15.25
25.	3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	159.29	46.26	29.04
26.	2051	लोक सेवा आयोग	156.01	44.71	28.66
27.	2404	दुग्धशाला विकास	126.40	28.32	22.41
28.	2216	आवास	91.35	27.77	30.40
29.	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	84.72	18.55	21.90
30.	2075	विविध सामान्य सेवायें	47.29	8.77	18.55
31.	3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	10.75	6.09	56.65
32.	3053	नागरिक उद्‌डयन	2.96	0.65	21.96
; kox			1,81,546.12	42,158.53	

i wthxr					
1.	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	26,210.55	5,937.98	22.65
2.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	6,782.22	2,804.29	41.35
3.	4210	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,849.03	1,209.61	31.43
4.	4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,240.00	558.32	17.23
5.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,198.28	431.62	36.02
6.	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,426.37	412.80	28.94
7.	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1,697.50	318.64	18.77
8.	4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	751.45	296.20	39.42
9.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	661.31	205.12	31.02
10.	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	779.53	190.09	24.39
11.	4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	884.24	174.17	19.70
12.	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	690.92	167.09	24.18
13.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	423.99	119.05	28.08
14.	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	302.00	116.00	38.41
15.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	724.00	113.12	15.62
16.	4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	264.04	42.14	15.96
17.	4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	90.97	33.79	37.14
18.	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	26.89	10.68	39.72
19.	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.98	99.60
20.	4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	12.34	4.14	33.55
			50,020.63	13,149.83	

i f j f' k"V 3.1

nks i fr'kr vfrfjDr LVKEi M; Wh ds forj .k dk fooj .k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 38)

₹ dj kM+ e

Ø0 I 0	Ukxj fuxek@uxj i kfydk@i fj "kn@fodkl i kf/kdj . kka dk uke	forfj r /kuj kf' k
1	आगरा विकास प्राधिकरण	20.15
2	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	11.46
3	फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	4.00
4	कानपुर विकास प्राधिकरण	18.87
5	खुर्जा विकास प्राधिकरण	4.15
6	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	6.09
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	45.81
8	हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण	6.66
9	लखनऊ विकास प्राधिकरण	43.88
10	मथुरा विकास प्राधिकरण	9.91
11	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	14.65
12	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	6.39
13	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	14.43
14	अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2.91
15	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	1.08
16	बांदा विकास प्राधिकरण	1.13
17	बरेली विकास प्राधिकरण	7.47
18	चित्रकूट विकास प्राधिकरण	1.46
19	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	9.73
20	झांसी विकास प्राधिकरण	4.59
21	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1.89
22	मेरठ विकास प्राधिकरण	13.27
23	मिर्जापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	0.67
24	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	9.31
25	उरई विकास प्राधिकरण	1.70
26	रायबरेली विकास प्राधिकरण	1.24
27	रामपुर विकास प्राधिकरण	1.66
28	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	4.93
29	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	0.75
30	वाराणसी विकास प्राधिकरण	20.36
31	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	127.75
		₹ kx 418.35

lkj f' k"V 3.2

jk dMegh dk vugj {k.k u fd; k tkuk

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 39)

(₹ djkM+ e)

Ø0 Lk0	fujh{k.k ifronu l af; k	bdkb/ dk uke	jk dMegh dk vugj {k.k u fd; s tkus dh vof/k	jk dMegh e /kuj kf' k dk vdu u gkuk
1	09/121/2017-18	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा	02/2017 से 03/2017	10.73
2	29/2017-18	जिलाधिकारी, जालौन	04/2014 से 03/2017	85.08
3	09/2017-18	जिला उद्यान अधिकारी, ललितपुर	04/2016 से 03/2017	3.76
4	118/17-18	जिला विकास अधिकारी, संतकबीर नगर	04/2014 से 03/2017	210.27
5	01/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), अम्बेडकर नगर	09/2012 से 03/2016	8.65
6	09/2017-18	जिला प्रोबेशन अधिकारी, बरेली	05/2015 से 11/2016	5.48
7	13/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), बाराबंकी	09/2012 से 03/2017	95.75
8	27/2017-18	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, प्रतापगढ़	11/2016 से 03/2017	0.48
9	29/2017-18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ	02/2016 से 03/2017	299.95
10	40/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), संतकबीर नगर	04/2014 से 03/2017	7.74
11	45/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़	02/2016 से 03/2017	18.55
12	48/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), बहराइच	04/2013 से 03/2017	34.32
13	55/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद	04/2014 से 03/2017	243.38
14	62/2017-18	वित्त एवं लेखाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), कुशीनगर	04/2013 से 03/2017	9.14
15	63/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं	04/2014 से 03/2016	55.61
16	66/2017-18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	08/2016 से 03/2017	125.99
17	68/2017-18	जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर	04/2015 से 03/2017	290.21
18	75/2017-18	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा	04/2015 से 03/2017	379.17
19	22/2016-17	बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. इलाहाबाद	04/2016 से 03/2017	7.77
20	96/2017-18	जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बेडकर नगर	11/2016 से 03/2017	0.51
21	11/2017-18	जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़	06/2016 से 03/2017	23.43
22	83/2017-18	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई	04/2016 से 03/2017	20.64
			egk; kx	1,936.61

I k f j f' k"V 3.3

o"kl 2016-17 ea jkT; I jdkj }kjk mu I koLtfud {ks= mi Øeka ea fuos'k
ftuds ys[ks 31 epl 2017 rd cdk; s Fks

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 40)

(₹ d j kM+ e)

Ø0 Lk0	I koLtfud {ks= ds mi Øeka dk uke	Ok"kl tc rd ds ys[ks dk vflurehdj .k gq/k	inRr i rth	vof/k tc rd ds ys[ks vflurehdj .k gq yfEcr	jkT; I jdkj }kjk o"kl ds nkj ku fuos'k ftuds ys[ks cdk; s ea gs			
					bfDoVh	__ .k	vupku	I fcl Mh
V-	fØ; k' khy ' kkl dh; dEi fu; k							
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	2014-15	1.50	2015-16 से 2016-17	00	00	130.00	00
2.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2013-14	230.42	2014-15 से 2016-17	00	00	00	42.44
3.	उ.प्र. राज्य कतार्ई कम्पनी लि.	2015-16	93.24	2016-17	00	2.48	00	00
4.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि.	2015-16	91.54	2016-17	00	00	15.84	00
5.	उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लि. (उ.प्र. राज्य कारपोरेशन लि. की सहायक)	2015-16	53.67	2016-17	00	3.01	00	00
6.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र. पावर टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	5,941.25	2015-16 से 2016-17	00	00	00	1,228.91
7.	जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लि.	2015-16	1.05	2016-17	125.00	00	00	00
8.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	8,641.20	2015-16 से 2016-17	1,695.00	00	00	00
9.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	7,558.07	2015-16 से 2016-17	2,073.26	00	00	2,076.22
10.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.	2014-15	49,930.46	2015-16 से 2016-17	9,722.98	3,700.32	00	00
11.	उ.प्र. डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि.	2014-15	1.00	2015-16 से 2016-17	00	20.00	2.00	00
12.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	2008-09	5.50	2009-10 से 2016-17	00	40.00	00	00
13.	उ.प्र. वक्फ विकास निगम लि.	2003-04	5.25	2004-05 से 2016-17	1.50	00	00	00
14.	इलाहाबाद शहर परिवहन सेवा	2013-14	4.91	2014-15 से 2016-17	00	00	5.49	00
15.	वाराणसी शहर परिवहन सेवा लि.	-		2010-11 से 2016-17	00	00	2.54	00
; kx v fcd; k' khy ' kkl dh; dEi fu; k					13,617.74	3,765.81	155.87	3,347.57

c-	fØ; k' khy l kfof/kd fuxe							
1.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2014-15	568.08	2015-16 से 2016-17	100.00	50.00	00	00
					13,717.74	3,815.81	155.87	3,347.57
l -	vfØ; k' khy dEi fu; k;							
1.	छाता चीनी कम्पनी लि. (उ.प्र. राज्य चीनी कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	81.38	2015-16 से 2016-17	00	0.68	00	00
2.	उ.प्र. राज्य टेक्सटाइल कारपोरेशन लि.	2015-16	160.79	2016-17	00	0.85	00	00
					00	1.53	00	00
					13,717.74	3,817.34	155.87	3,347.57

l k f j f' k"V 3.4

o"kl 2016-17 ea j k T; I j d k j } k j k mu I k o t f u d { k s= mi Ø e k a ea fuo s k f t u d s y s [k s 31 e k p l 2016 r d c d k; s F k s

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 40)

(₹ d j k M+ e)

ØØ LkØ	I k o t f u d { k s= d s mi d a e k a d k u k e	Øk"kl t e r d d s y s [k k a d k v f l r e h d j . k g y k	i n R r i n t h	v o f / k t e r d d s y s [k s v f l r e h d j . k g r q y f e c r	j k T; I j d k j } k j k o"kl d s n k j k u fuo s k f t u d s y s [k s c d k; s ea g s			
					b f D o V h	__ . k	v u n k u	I f c l M h
v-	f Ø; k' k h y ' k k l d h; d E i f u; k j							
1.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2011-12	216.99	2012-13 से 2015-16	00	00	00	59.17
2.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि.	2014-15	91.54	2015-16	00	00	20.93	00
3.	उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लि. (उ.प्र. राज्य टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	53.67	2015-16	00	0.85	00	00
4.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास कारपोरेशन लि.	2013-14	18.60	2014-15 से 2015-16	14.00	00	00	00
5.	लखनऊ मेट्रो कारपोरेशन	2014-15	80.05	2015-16	450.00	150.00	300.00	00
6.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु कारपोरेशन लि.	2007-08	5.50	2008-09 से 2015-16	5.50	11.88	00	00
7.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	2014-15	8,043.05	2015-16	832.91	00	00	00
8.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	8,641.20	2015-16	1,450.00	00	00	00
9.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.	2013-14	35,690.22	2014-15 से 2015-16	16,498.92	00	00	00
; k x v f Ø; k' k h y ' k k l d h; d E i f u; k j			52,840.82		19,251.33	162.73	320.93	59.17
c-	f Ø; k' k h y I k f o f / k d f u x e				शून्य			
l .	v f Ø; k' k h y d E i f u; k j				शून्य			
E k g k; k x (v + c + l)			52,840.82		19,251.33	162.73	320.93	59.17

lkfj f' k"V 3.5

yxhk vftR djus okys l kolTfud {ks= mi Øe

(संदर्भ: प्रस्तर 3.7; पृष्ठ 41)

(₹ dj km+ e)

ØØ LkØ	l ØVj @dEi uh dk uke	ys[ks dh vof/k	fuoy ykhk	l æfgr ykhk@gkfu	inRr iwth ½j kT; l j dkj ½	?kkf"kr gksus okyk ykhkka k	?kkf"kr ykhkka k
1.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	2016-17	871.58	920.97	9970.40	498.52	0.00
2.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	2012-13	125.63	282.16	24.08	1.20	1.20
3.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	2012-13	115.29	800.72	1.00	0.05	0.20
4.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	2014-15	87.07	426.00	7.79	0.39	0.00
5.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	2015-16	50.68	4,747.26	0.00	0.00	0.00
6.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	2014-15	47.03	172.66	15.00	0.75	3.71
7.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	2014-15	28.97	149.35	0.43	0.02	0.02
8.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	2014-15	27.88	-327.03	434.53	0.00	0.00
9.	उ.प्र. वित्त निगम	2012-13	17.38	-898.38	114.17	0.00	0.00
10.	उ.प्र. जल निगम	2011-12	16.82	-81.15	0.00	0.00	0.00
11.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	2015-16	16.53	25.24	3.00	0.15	0.00
12.	उ.प्र. राज्य एग्री औद्योगिक कारपोरेशन लि.	2010-11	16.12	-16.09	46.30	0.00	0.00
13.	उ.प्र. राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि. के रूप में पूर्व में जाना जाता था)	2015-16	15.82	71.56	0.15	0.01	0.02
14.	उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि.	2014-15	11.16	56.62	5.40	0.27	0.64
15.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2013-14	8.74	121.76	123.24	6.16	0.00
16.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	2008-09	7.39	30.79	5.50	0.28	0.65
17.	उ.प्र. लघु उद्योग कारपोरेशन लि.	2007-08	4.39	-9.48	5.96	0.00	0.00
18.	उ.प्र. वन निगम	2015-16	4.26	1,424.63	0.00	0.00	0.00
19.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2014-15	3.96	-1,313.10	508.07	0.00	0.00
20.	उ.प्र. बीज विकास निगम लि.	2012-13	3.51	113.37	6.92	0.35	0.00
21.	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.	2015-16	3.04	525.61	0.00	0.00	0.00
22.	उ.प्र. डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि.	2014-15	2.66	5.18	1.00	0.05	0.00
23.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि.	2015-16	1.93	5.40	91.54	4.58	0.10
24.	अलमोड़ा मैग्नेसाइट लि. (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	2015-16	1.90	2.54	0.00	0.00	0.00
25.	अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की सहायक)	2015-16	1.87	-2.70	0.00	0.00	0.00
26.	श्रीट्रॉन इंडिया लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की सहायक)	2015-16	1.40	2.84	0.00	0.00	0.00

27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	2013-14	0.36	2.07	4.71	0.24	0.00
28.	उ.प्र. राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन कारपोरेशन लि.	2000-01	0.26	-6.85	5.74	0.00	0.00
29.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि.	2002-03	0.22	2.68	30.00	1.50	0.00
30.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	2009-10	0.19	1.11	1.07	0.05	0.00
31.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	2014-15	0.08	0.74	1.50	0.08	0.00
32.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि.	2016-17	0.02	-0.80	0.15	0.00	0.00
33.	यू0सी0एम0 कोयला कम्पनी लि.	2015-16	0.01	-0.08	0.00	0.00	0.00
			1,494.15		11,407.65	507.48	6.54

10 पी0एस0यू0 ने ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

lkj f' k"V 3.6

foHkkxokj @vof/kokj yfEcr ixdj.kka dk fooj.k
 %ftuea vflre dk; bkgi ekpl 2017 rd yfEcr Fkh%

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 42)

(dks"Bd ea vkqdm\$ ₹ yk[k ea inf'kr gA)

Ø0 Lk0	foHkkx dk uke	5 o"kl rd	5 l s 10 o"kl rd	10 l s 15 o"kl rd	15 l s 20 o"kl rd	20 l s 25 o"kl rd	25 o"kl l s vf/kd	ixdj.kka dk ; ksx
1	कृषि विभाग	-	-	2(7.44)	-	-	1(0.18)	3(7.62)
2	पशुपालन विभाग	-	-	-	2(3.46)	6(1.18)	8(1.91)	16(6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	-	1(1.28)	1(0.17)	-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	-	5(112.94)	-	1(5.00)	-	-	6(117.94)
5	मत्स्य विभाग	-	1(1.01)	-	-	-	2(1.60)	3(2.61)
6	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1(3.06)	-	-	8(25.72)	9(28.78)
7	सिंचाई विभाग	3(53.12)	4(57.89)	10(0.52)	7(3.67)	17(5.83)	-	41(121.03)
8	न्याय विभाग	-	-	1(4.44)	-	-	-	1(4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	2(3.95)	9(11.94)	11(15.89)
11	पुलिस विभाग	1(0.00)	1(4.00)	-	-	1(1.21)	3(2.89)	6(8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	-	1(0.51)	2(47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	-	4(111.96)	6(36.41)	-	-	-	10(148.37)
14	राजस्व विभाग	1(6.68)	-	-	1(1.72)	-	3(6.09)	5(14.49)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7(2.07)	9(3.28)
16	समाज कल्याण विभाग	1(4.44)	-	-	1(0.25)	-	2(0.70)	4(5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1(11.59)	-	-	-	1(11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1(1.01)	1(1.01)
19	उद्यान विभाग	-	-	1(3.59)	-	-	-	1(3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1(0.67)	1(0.67)
: ksx		6(64.24)	15(287.80)	22(67.05)	14(62.86)	29(13.55)	49(387.07)	135(882.57)

i f j f' k"V 3.7

pkj h] nfofU; ksx] ' kkl dh; l kefx; k dh gkfu , oa xcu ds dkj .k jkT; l j dkj
dks gpz {kfr ds i rdj .kka dk foHkkxokj@Js khokj fooj .k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 42)

(₹ yk[k e)

Ø0 l Ø	foHkkx dk uke	pkj h ds i rdj .k		nfofU; ksx ds i rdj .k		' kkl dh; l kefx; k dh gkfu ds i rdj .k		xcu ds i rdj .k		; ksx	
		i rdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	i rdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	i rdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	i rdj .k dh l a[; k	/kujkf' k	i rdj .k dh l a[; k	/kujkf' k
1	कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
2	पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
3	सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
4	शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
5	मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
6	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
7	सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
8	न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6	4.13	-	-	1	1.09	4	10.67	11	15.89
11	पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.00	4	4.10	6	8.10
12	पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
13	लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	7	146.74	-	-	10	148.37
14	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
15	ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
16	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
18	बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
19	उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
; ksx		61	33.21	8	58.73	24	172.35	42	618.28	135	882.57

i f j f' k"V 3.8

foHkkxh; okf.kfT; d mi Øeka ds ys[kkvka dk vfUrehdj .k
vkj fuos' kka dk fooj .k
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10; पृष्ठ 43)

Ø0 l 0	mi Øe dk uke	ys[kkvka ds vfUrehdj .k dk o"kl	v ru vfUre ys[k ds vuq kj fuos' k (₹ dj kM+e)
fl pkbZ foHkkx			
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2016-17	1.69
2	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2016-17	12.78
3	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2016-17	11.72
4	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2016-17	0.51
5	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2016-17	(-)0.14
6	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2016-17	3.71
[kk , oa j l n foHkkx			
7	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2012-13	3,659.94
lk' kj kyu foHkkx			
8	राजकीय पशुधन सहकृषि फार्म	2014-15	27.97
LokLF; foHkkx			
9	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	उपलब्ध नहीं
; kx			3, 718.18

i f'f' k"V 4
 'kCnkoyh %vfrfj Dr vkpdM%

x.kuk dk vk/kkj

in	x.kuk dk vk/kkj
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि} / \text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] \times 100$
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] \times 100$
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष}) / 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष “2048 ऋण में कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग” के अन्तर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

i nka dh 0; k[; k

in	0; k[; k
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियाँ या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिन संगठन/संस्थानों, अशासकीय संगठनों को राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वे राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।

आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/ नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिकिंग फण्ड (निक्षेप निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी, जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती हैं। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें।

i fkek{kjh

i fkek{kjh	i #kl foLrkj
ए सी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुदृढीकरण पथ
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ आर बी एम अधिनियम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख-रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तिर्थाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवाँ वित्त आयोग
एफ एफ सी	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण-पत्र